पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाषः 0771–2262802(अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स– 0771–2262818, 2262607

क्रमांक : 1043 / अका. / का.प / 2025 रायपुर, दिनांक 03/06/2025

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की '98वाँ' बैठक शुक्रवार दिनांक 10.06.2025 को अपराह्न 3.00 बजे की विषयसूची

1. **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 24.04.2025 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान कर पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।** **(पृष्ठ क्र. 01 से 09 तक)**

   टीपः कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

2. **छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के आदेश क्रमांक ESTB/2725/2025/38-2 रायपुर, दिनांक 28.05.2025 के द्वारा डॉ. अम्बर व्यास, प्राध्यापक, फार्मेसी विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को आगामी आदेश पर्यन्त प्रभारी कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का कार्यभार सौंपे जाने की सूचना ग्रहण करना।**

3. **डॉ. शिव कुमार पाण्डेय, सेवानिवृत्त प्रोफेसर को कुलपति पद के कार्यकाल का सातवें वेतनमान के अनुसार वेतन निर्धारण किये जाने के संबंध में विचार करना।**

   टीपः डॉ. शिव कुमार पाण्डेय, सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं तत्कालीन कुलपति ने आवेदन प्रस्तुत कर कुलपति पद पर कार्यरत अवधि में दिनांक 01.01.2016 से 31.03.2018 तक का सातवें वेतनमान के अनुसार एरियर्स राशि भुगतान किए जाने की मांग की है।

   उपरोक्त के संबंध में लेख है कि डॉ. शिव कुमार पाण्डेय, सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं तत्कालीन कुलपति, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उनके कुलपति पद पर दिनांक 01.04.2018 तक कार्यरत अवधि का छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 (छठवाँ वेतनमान) के तहत रू. 75000/– निश्चित वेतन के साथ रू. 5000/– विशेष वेतन एवं प्रचलित दर पर महंगाई भत्ता का भुगतान किया गया है।

   छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 2–1/18/38–1 अटल नगर, दिनांक 26.09.2018 के द्वारा "विश्वविद्यालयों के कुलपति के पुनरीक्षित वेतनमान" दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतनमान छ.ग. वेतन पुनरीक्षण 2017 के अनुसार रू. 210000/– निश्चित वेतन के साथ रू. 5000/– विशेष वेतन एवं प्रचलित पद पर महंगाई भत्ता प्रदान किए जाने का निर्देश है।

   तत्संबंध में अधिवक्ता श्री नीरज चौबे, उच्च न्यायालय से विधिक अभिमत लिया गया है, जिसके अनुसार डॉ. शिवकुमार पाण्डेय, पुनरीक्षित वेतनमान की उक्त अवधि में दिनांक 01.01.2016 से 31.03.2018 तक कुलपति के पद पर कार्यरत अवधि हेतु निश्चित वेतन रूपये 75000/– एवं रू. 5000/– विशेष भत्ता के पुनरीक्षित होने के कारण इन्हें भी दिनांक 01.01.2016 से 31.03.2018 तक की अवधि हेतु कुलपति पद हेतु निर्धारित निश्चित वेतन रूपये 2,10,000/– के साथ रूपये 5000/– विशेष भत्ता प्रतिमाह की पात्रता होती है। अतः अंतर की राशि की गणना कर एरियर्स का भुगतान किया जा सकता है।

   अतः डॉ. शिव कुमार पाण्डेय, सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं तत्कालीन कुलपति, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के आवेदनानुसार उनके कुलपति पद का दिनांक 01.01.2016 से 01.04.2018 तक की अवधि का छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार वेतन निर्धारण किये जाने की स्वीकृति प्रदाय के संबंध में मान. कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

4. **डॉ. पुरूषोत्तम लाल चन्द्राकर, सह प्राध्यापक, भूगोल के पूर्व सेवा के वेतन संरक्षण (Pay Protection) के संबंध में विचार करना।**

टीपः डॉ. पुरूषोत्तम लाल चन्द्राकर, सह प्राध्यापक, भूगोल अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 04.10.2024 का कृपया अवलोकन करना चाहें, जिसमें उन्होंने इस विश्वविद्यालय में सह प्राध्यापक, भूगोल के पद पर दिनांक 11.09.2024 को पूर्वान्ह पदभार ग्रहण करने तथा अपने पूर्व संस्था के द्वारा प्रदत्त माह अगस्त 2024 का वेतन प्रमाण पत्र जमा करने तथा पूर्व सेवा का पद सहायक प्राध्यापक, भूगोल से उच्च पद पर नियुक्ति होने का उल्लेख कर उन्हें वेतनवृद्धि का लाभ एवं उनके पूर्व संस्था के द्वारा प्रदान किये गये वेतन को नियमानुसार संरक्षण प्रदान करने हेतु निवेदन किया है।

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के वित्त निर्देश 41/2018 पत्र क्रमांक 385/एफ 2018–25–01445/वित्त/नियम /चार दिनांक 03.082018 के अनुसार– "त्यागपत्र को तकनीकी त्यागपत्र माने जाने पर शासकीय सेवक को यदि पूर्व सेवाओं का लाभ अन्यथा नियमों के अंतर्गत देय हो तो वेतन निर्धारण के लिए भी दिया जावेगा, ऐसे प्रकरण में वेतन निर्धारण मूलभूत नियम 22–सी का उपयोग कर लिया जायेगा।"

मूलभूत नियम 22–सी के अनुसार– स्थायी शासकीय सेवक का स्थायी पद पर मिलने वाला वेतन यदि नये पद के निम्नतम वेतन से अधिक रहता है तो उसके द्वारा धारित स्थायी पद का वेतन संरक्षित रहेगा।

उपरोक्त नियमानुसार डॉ. पुरूषोत्तम लाल चन्द्राकर, एसोसिएट प्रोफेसर, भूगोल अध्ययनशाला को वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान कर वेतनमान 37400-67000+AGP9000, अकादमिक लेवल 13A में दिनांक 11.09.2024 से मूल वेतन 187300/– देय होगा।

अतः डॉ. पुरूषोत्तम लाल चन्द्राकर, सह प्राध्यापक, भूगोल अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उनके आवेदनानुसार उनके कार्यभार ग्रहण तिथि 11.09.2024 से वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान करते हुए मूल वेतन 187300/– में वेतन निर्धारण किए जाने के संबंध में प्रकरण माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

5. **श्री जितेन्द्र कुमार साहू, चपरासी का विधिक अभिमत के अनुसार निलंबन अवधि समाप्त किये जाने के संबंध में विचार करना।**

टीपः **(अ)** श्री जितेन्द्र कुमार साहू, चपरासी, सामान्य प्रशासन विभाग को बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहते है एवं इन्हें अनेक बार अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया गया है जो निम्नलिखित हैः–

01 इस कार्यालय के आदेश क. 2115/सा.प्रशा./14 दिनांक 27.05.2014 के द्वारा इनकी नियुक्ति चपरासी के पद पर हुई है।

02 इस कार्यालय के आदेश क. 4287/सा.प्रशा./15 दिनांक 19.11.2015 को दिनांक 19. 05.2023 एवं 25.05.2023 को 02 दिन का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया गया है

03 आदेश क. 4464/सा.प्रशा./15 दिनांक 08.12.2015 के द्वारा दिनांक 05.11.2015 से 16.11.2015 तक कुल 12 दिनों का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया गया है।

04 वि.वि. का पत्र क. 786/सा.प्रशा./2017 के द्वारा दिनांक 28.01.2017 से 30.01.2017 तक एवं 06.02.2017 से 24.02.2017 तक बिना सूचना के अनुपस्थित होने के कारण कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

05 आदेश कं. 827/सा.प्रशा./2017 दिनांक 27.02.2017 के द्वारा दिनांक 28.01.2017 से 30.01.2017 तथा 06.02.2017 से 24.02.2017 तक कुल 22 दिनों का लधुकृत अवकाश चेतावनी के साथ स्वीकृत किया गया।

06 पत्र क. 786/सा.प्रशा./2017 दिनांक 22.02.2017 के द्वारा कारण बताओ नोटिस प्रदान किया गया है।

07. पत्र क. 2343 /सा.प्रशा./2017 दिनांक 20.06.2017 के द्वारा दिनांक 09.05.2017, 25.05.2017, 29.05.2017 तथा 30.05.2017 तक बिना आवेदन पूर्व सूचना के कार्य पर अनुपस्थित रहने के कारण कारण बताओ नोटिस दिया गया।

08 आदेश कं. 2725/सा.शा./2017 दिनांक 24.07.2017 के द्वारा दिनांक 09.05.2017, 25.05.2017, 29.05.2017, 30.05.2017, अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया गया है तथा इनका वेतन रोका गया था।

09 आदेश कं. 2541/सा.प्रशा./18 दिनांक 30.06.2018 के द्वारा चेतावनी पत्र दिया गया है।

10 आदेश क. 3341/सा.प्रशा./18 दिनांक 31.08.2018 के द्वारा दिनांक 09.08.2018 से 22.08.2018 तक कुल 14 दिनों का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया गया है।

11. आदेश क. 3611/सा.प्रशा./18 दिनांक 01.10.2018 के द्वारा दिनांक 17.09.2018 बिना सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण इनका वेतन रोका गया था।

12. आदेश क. 3830/सा.प्रशा./18 दिनांक 27.10.2018 के द्वारा दिनांक 17.09.2018 से 30.09.2018 तक 14 दिनों का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया गया है।

13 पत्र क. 1584/सा.प्रशा./2021 दिनांक 01.06.2021 के द्वारा प्रशासनिक भवन के सामने शराब के नशे में महिला सफाई कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार किया जिसके कारण इन्हें कारण बताओं नोटिस किया गया हैं

14 पत्र कं. 2027/सा.प्रशा./2022 दिनांक 12.05.2022 के द्वारा दिनांक 02.05.2022 को बिना पूर्व सूचना आवेदन से अनुपस्थित होने के कारण स्पष्टीकरण मांगा गया है।

15 आदेश क. 2143/सा.प्रशा./2023 दिनांक 03.06.2022 के द्वारा दिनांक 02.05.2022 से 10.05.2022 तक कुल 09 दिनों का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया गया है।

16 आदेश क. 2461/सा.प्रशा./2022 दिनांक 22.06.2022 के द्वारा दिनांक 01.06.2022, से 07.06.2022 तक कुल 07 दिनों का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया गया है।

17 पत्र कं. 3648/सा.प्रशा./2022 दिनांक 27.09.2022 कि द्वारा दिनांक 29.08.2022, 01. 09.2022, 02.09.2022, 14.09.2022, 20.09.2022, 21.09.2022, एवं 23.09.2022 को बिना सचूना के अनुपस्थित होने के कारण कारण बताओं नोटिस दिया गया ।

18 पत्र क. 4081/सा.प्रशा./2022 दिनांक 02.11.2022 के द्वारा कारण बताओं नोटिस दिया गया एवं माह अक्टूबर 2022 से आगामी आदेश तक वेतन भुगतान रोका गया।

19 पत्र क. 4540/सा.प्रशा./06.12.2022 के द्वारा कारण बताओं नोटिस प्रदान किया गया है।

(ब) आदेश क. 3094/सा.प्रशा./2023 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 29.05.2023, 30.05.2023, 01.06.2023, 02.06.2023, 05.06.2023, 21.06.2023, 22.06.2023, 23.06. 2023, 24.06.2023, तक 10 दिनों का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया गया है।

श्री साहू पुनः दिनांक 26.06.2023 से 25.07.2023 तक एक माह तक बिना किसी पूर्व सूचना के कार्य पर अनुपस्थित है। ये आदतन बिना सूचना के अवकाश में चले जाते है।

(स) श्री जितेन्द्र कुमार साहू की प्रथम नियुक्ति दिनांक 27.05.2014 को हुई है। इनके निलंबन का कारण यह है कि विश्वविद्यालय में लगातार अनिधिकृत अनुपस्थिति के कारण विभागीय जाँच अंतर्गत पत्राचार करने पर जानकारी प्राप्त हुई कि यह किसी अपराधिक प्रकरण में जेल में बंद है। इनकी जेल में निरूद्धता की पुष्टि संबंधित थाना से पत्राचार करने पर प्राप्त रिपोर्ट से होती है, जिसके आधार पर इनके निलम्बन की कार्यवाही की गई। अद्यतन स्थिति में यह दिनांक 26.04.2023 से आज दिनांक तक निलंबित हैं।

(द) दिनांक 10.05.2025 कि द्वारा अधिवक्ता नीरज चौबे से प्राप्त विधिक अभिमत के अनुसार " श्री जितेन्द्र कुमार साहू का निलंबन समाप्त किया जा सकता है तथा आपराधिक प्रकरण में पारित अंतिम आदेश के अनुक्रम में इनकी सेवा के संबंध में भविष्य में निर्णय लिया जा सकता है"।

प्राप्त विधिक अभिमत एवं जाँच समिति के सदस्यों के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि श्री जितेन्द्र साहू के विरूद्ध कोई भी विभागीय जाँच या अन्य अपराधिक मामलों के संबंध में शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उनके निलंबन समाप्त करने का विचार किया जा सकेगा।

(इ) नियुक्ति तिथि से अब तक श्री जितेन्द्र कुमार साहू को 119 दिनों का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया गया हैं।

अतः माननीय कार्यपरिषद के समक्ष समग्रता के साथ प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

6. **स्व. श्री सोविन्द उइके के पुत्र– श्री राजेश उइके को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किये जाने के संबंध में विचार करना।**

टीप: स्व.श्री सोविन्द उइके, चौकीदार का निधन सेवाकाल के दौरान दिनांक 09.11.2024 को हुआ था। इनके पुत्र श्री राजेश उइके द्वारा दिनांक 26.12.2024 को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु आवेदन विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया गया।

स्व. सोविन्द उइके की सेवा पुस्तिका में प्रविष्टी के अनुसार यह अनुसूचित जाति के थे किंतु इनके पुत्र को वि.वि. के पत्र कं. 86/सा.प्रशा./दिनांक 07.01.2025 के द्वारा अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र मांगे जाने पर इनके द्वारा अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। उक्त क्रम में प्रकरण पर वि.वि. के पैनल अधिवक्ता श्री नीरज चौबे से विधिक अभिमत प्राप्त किया गया। प्राप्त विधिक अभिमत अनुसार "यदि आवेदक के पिता आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत नियुक्त हुये थे तब उनके पुत्र के द्वारा यदि उसी श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो इनके अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन पर विचार किया जा सकता है"।

अतः माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

7. **श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, नया रायपुर एवं न्यूनतम अधिनियम 1948 के अंतर्गत अधिसूचना क्रमांक आठ/न्यू.वे./श्र.आ./2025/2840 रायपुर, दिनांक 27.03.2025 के अनुक्रम में कार्यालय कलेक्टर, जिला–रायपुर (छ.ग.) के आदेश कमांक 474/सिविल–2/ 2025, रायपुर, दिनांक 21/04/2025 के द्वारा कलेक्टर दर पर आदेश के परिपालन में विश्वविद्यालय में कार्यरत कुशल/अर्द्धकुशल /अकुशल श्रमिकों को वृद्धि दरों से पारिश्रमिक का भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।**

टीप: श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, नया रायपुर एवं न्यूनतम अधिनियम 1948 के अंतर्गत अधिसूचना क्रमांक आठ/न्यू.वे./श्र.आ./2025/2840 रायपुर, दिनांक 27.03.2025 के अनुक्रम में कार्यालय कलेक्टर, जिला–रायपुर (छ.ग.) के आदेश क्रमांक 474/सिविल–2/ 2025, रायपुर, दिनांक 21/04/2025 के द्वारा कलेक्टर दर पर कार्यरत श्रमिकों के पारिश्रमिक में दिनांक 01.04. 2025 से 30.09.2025 तक की अवधि हेतु दैनिक एवं मासिक दरों का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है–

क्र.	पद श्रेणी	अनुसूची 'ग' शासकीय विभागों के लिए 30 दिन के अनुसार	
		मासिक	दैनिक
1.	अकुशल	11176.00	372.53
2.	अर्द्धकुशल	11826.00	394.20
3.	कुशल	12606.00	420.20

उक्त आदेश के परिपालन में विश्वविद्यालय में कार्यरत कुशल/अर्द्धकुशल /अकुशल श्रमिकों को उपरोक्त वृद्धि दरों से पारिश्रमिक का भुगतान की स्वीकृति उपरांत कार्यपरिषद की अनुमति की प्रत्याशा में भुगतान किया जा चुका है।

अतः माननीय कार्यपरिषद के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

8. **श्री कन्हैयालाल रावटे, पूर्व वरिष्ठ अधीक्षक की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के निर्णय के संबंध में विचार करना।**

टीपः

1. श्री कन्हैयालाल रावटे, पूर्व वरिष्ठ अधीक्षक के वि.वि. परिनियम 31 के नियम 58(1) के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति वि.वि. आदेश क्रमांक 2904/सा.प्रशा/2016 दिनांक 30.07.2016 को निरस्त करने हेतु उनके आवेदन दिनांक 03.07.2024 के संबंध में विस्तृत जाँच हेतु कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 19.07.2024 के पूरक विषय सूची 04 पर लिये गये निर्णयानुसार तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया।
2. अपीलार्थी श्री कन्हैयालाल रावटे, पूर्व वरिष्ठ अधीक्षक (अनिवार्य सेवानिवृत्ति) द्वारा 12 पृष्ठों के संलग्नक सहित अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया।
3. कार्यपरिषद की स्वीकृति उपरांत गठित तीन सदस्यीय समिति द्वारा अपीलार्थी से प्राप्त अभ्यावेदन एवं दस्तावेज सहित आरोप–पद क्रमांक–1, 2 एवं 3 की जाँच किया गया।
4. तीन सदस्यीय समिति द्वारा श्री कन्हैयालाल रावटे अपचारी सेवक के विरूद्ध आरोपों की जाँच कर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोप–पदों पर निष्कर्ष निम्नानुसार पाया –
   1. आरोप–पद क्रमांक–1 – बिना किसी संदेह के पूर्ण रूप से सिद्ध
   2. आरोप–पद क्रमांक–2 – बिना किसी संदेह के पूर्ण रूप से सिद्ध
   3. आरोप–पद क्रमांक–3 – बिना किसी संदेह के पूर्ण रूप से सिद्ध
5. तीन सदस्यीय जाँच समिति के निर्णयानुसार "छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 तथा विश्वविद्यालय परिनियम 31 की कंडिका 13(अ) (1) के अंतर्गत जानबूझकर कर्त्तव्य/कार्य की उपेक्षा की श्रेणी में आता है।"
6. अतएव विभागीय जाँच प्रतिवेदन के आधार पर वि.वि. आदेश क्र.2904/सा.प्रशा/2016 दिनांक 30.07.2016 के द्वारा अपचारी सेवक को दिनांक 01.08.2016 अपराह्न से वि.वि. परिनियम 31 की कंड़िका 12, 13(अ–1) एवं 57(1–इ) के प्रावधानानुसार श्री कन्हैयालाल रावटे की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का निर्णय मान्य योग्य है।

   अतः समिति द्वारा जाँचोपरांत लिया गया उपर्युक्त निर्णय माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

9. **श्रीमती जगम्मा बाई, चपरासी, इतिहास अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर पदस्थापना नियुक्ति तिथि 20.01.1998 के 27 वर्ष के सेवाकाल के उपरांत दिनांक 31.01.2025 को सेवानिवृत्त होने के कारण सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 8,20,179.00 (रुपए आठ लाख बीस हजार एक सौ उन्यासी मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।**

टीपः श्रीमती जगम्मा बाई, चपरासी, इतिहास अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का सेवानिवृत्त होने के कारण सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि 8,20,179.00 (रुपए आठ लाख बीस हजार एक सौ उन्यासी मात्र) का भुगतान किया गया है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

10. **श्रीमती छाया बाई सोनेकर, स्वच्छक, भू–विज्ञान अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर पदस्थापना नियुक्ति तिथि 07.05.1988 के 36 वर्ष 07 माह के सेवाकाल के उपरांत दिनांक 08.01.2025 को आकस्मिक निधन होने के कारण सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 8,15,139.00 (रुपए आठ लाख पंद्रह हजार एक सौ उनतालीस मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।**

टीपः श्रीमती छाया बाई सोनेकर, स्वच्छक, भू–विज्ञान अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का आकस्मिक निधन होने के कारण सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि 8,15,139.00 (रुपए आठ लाख पंद्रह हजार एक सौ उनतालीस मात्र) का भुगतान किया गया है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

11. **आंतरिक मूल्यांकन एवं असाईनमेंट शुल्क राशि रु. 22,40,082.00 (रुपए बाईस लाख चालीस हजार बयासी मात्र) वापसी की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।**

टीपः विश्वविद्यालय से संबद्ध 66 महाविद्यालयों को परीक्षा प्रक्रिया अंतर्गत आंतरिक मूल्यांकन एवं असाईनमेंट शुल्क वापसी की राशि रु. 22,40,082.00 (रुपए बाईस लाख चालीस हजार बयासी मात्र) का भुगतान माननीय कार्यपरिषद् की सक्षम स्वीकृति की प्रत्याशा में दिनांक 05.05.2025 को किया जा चुका है। अतः माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

12. **कला भवन के छत की वाटर प्रूफींग कार्य हेतु अनुबंधित फर्म मे. द वेदरमेन रायपुर को 50% भुगतान रु. 4,83,575/– की कार्योत्तर स्वीकृति एवं शेष राशि रु. 4,28,100/– (रुपए चार लाख अठाईस हजार एक सौ मात्र) के भुगतान कर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।**

टीपः (1) भवनों की छत की वाटर प्रूफींग कार्य के लिए प्राक्कलन राशि रु. 35,00,000/– की खुली निविदा आंमत्रित किया गया था। प्रतिस्पर्धा में न्यूनतम निविदाकार द वेदरमेन रायपुर की @21.99% (इक्कीस दशमलव नौ–नौ प्रतिशत) छ.ग. लोक निर्माण विभाग में दिनांक 01.01.2020 से प्रचलित एस.ओ.आर. से कम दर को विभागीय क्रय समिति की बैठक दिनांक 07.01.2025 एवं केन्द्रीय क्रय समिति की बैठक दिनांक 15.01.2025, भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 19.03.2025 में स्वीकृति की अनुशंसा किया गया था, तदनुसार कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 24.03.2025 में अनुमोदन प्रदान किया गया है।

(2) मान. कार्यपरिषद से वित्तीय स्वीकृति की प्रत्याशा में रु. 27,30,350/– का कार्य अनुबंध दिनांक 17.01.2025 को फर्म द वेदरमेन से करते हुए कला भवन की छत की वाटर प्रूफींग कार्य पूर्ण कराया गया है।

(3) कला भवन छत वाटर प्रूफींग के पूर्ण किये गये कार्य का मूल्यांकन, सत्यापन छ.ग. स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई से कराया गया है, प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 28.04.2025 अनुसार

(i)	फर्म को भुगतान योग्य कुल राशि	–	रु. 9,11,675/–
(ii)	कार्यपरिषद से स्वीकृति की प्रत्याशा मे दिनांक 17.04.2025 को फर्म को किया गया 50% भुगतान	–	रु. 4,83,575/–
(iii)	CSVTU की प्राप्त रिपोर्ट अनुसार फर्म को शेष भुगतान (i-ii)	–	रु. 4,28,100/–

(4) नियमानुसार कटौती उपरांत निम्नानुसार भुगतान किया जाना है–

(i) आयकर कटौती जमा @2% x 4,28,100/- – रु. 8562/–

(ii) जी.एस.टी.कटौती जमा @2% x 4,28,100/- – रु. 8562/–

(iii) फर्म मे. द वेदरमेन रायपुर (रु. 428100–[4(i)+(ii)] रु. 4,10,976/–

(5) फर्म मे. द वेदरमेन रायपुर को दिनांक 17.04.2025 को किये गए 50% राशि रु. 4,83,575/– भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति एवं उपरोक्तानुसार अवशेष भुगतान रु. 4,28,100/– (रुपए चार लाख अठाईस हजार एक सौ मात्र) की भुगतान स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

13. **2 नग हाई मास्क पोल सहित फ्लड लाईट कन्या छात्रावास के सामने शिक्षक कॉलोनी के पास एवं बायोटेक्नालॉजी अध्ययनशाला के कॉर्नर में लगाये जाने के पश्चात कुल लागत (below rate के आधार पर) रु. 18,61,819.00 (रुपए अठारह लाख इकसठ हजार आठ सौ उन्नीस मात्र) में से अनुबंधित फर्म मे. प्रमोद कुमार कौशल, सुंदर नगर, रायपुर को 33% भुगतान रु. 6,14,400/– (रुपए छः लाख चौदह हजार चार सौ मात्र) की कार्योत्तर स्वीकृति एवं शेष 67% की राशि रु. 12,47,419/– (रुपए बारह लाख सैंतालीस हजार चार सौ उन्नीस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।**

टीपः (1) 2 नग हाई मास्क पोल सहित फ्लड लाईट कन्या छात्रावास के सामने शिक्षक कॉलोनी के पास एवं बायोटेक्नालॉजी अध्ययनशाला के कॉर्नर में लगाये जाने के पश्चात कुल लागत (below rate के आधार पर) रु. 18,61,819.00 (रुपए अठारह लाख इकसठ हजार आठ सौ उन्नीस मात्र) में से अनुबंधित फर्म मे. प्रमोद कुमार कौशल, सुंदर नगर, रायपुर को 33% राशि रु. 6,14,400/– (रुपए छः लाख चौदह हजार चार सौ मात्र) भुगतान निम्नानुसार किया गया है –

1	Pramod Kumar Kaushal, Raipur GST - AEWPK42707JI26 PAN- AEWPK42707J	Rs. 5,89,824.00
2	SBI(I.Tax) RSU Raipur Rs. 6,14,400.00	Rs. 12288.00
3	SBI (GST) RSU Raipur Rs. 6,14,400.00	Rs. 12288.00
रु. छः लाख चौदह हजार चार सौ मात्र		**Rs. 6,14,400.00**

उपरोक्तानुसार किये गए भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत है।

(2) उपरोक्त कार्य हेतु शेष 67% की राशि रु. 12,47,419/– (रुपए बारह लाख सैंतालीस हजार चार सौ उन्नीस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

(3) इस प्रकार सकल राशि रु. 18,61,819.00 (रुपए अठारह लाख इकसठ हजार आठ सौ उन्नीस मात्र) की भुगतान हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :—

14. **शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला के जिम्नेशियम के लिए जिम सामग्री क्रय हेतु राशि रु. 8,74,962.00 (रुपए आठ लाख चौहत्तर हजार नौ सौ बासठ मात्र) के क्रय स्वीकृति आदेश जारी किए जाने की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।**

टीपः विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला के जिम्नेशियम के उन्नयन हेतु जिम सामग्री क्रय हेतु GeM Portal पर तीन कंपनियों की तुलनात्मक तालिका अनुसार न्यूनतम दर के आधार पर Aerofit IT Series Shoulder Press Machine and Gym Accessories रु. 8,74,962.00 (रुपए आठ लाख चौहत्तर हजार नौ सौ बासठ मात्र) में क्रय हेतु डी.पी.सी. एवं सी.पी.सी. की अनुशंसा एवं स्वीकृति पश्चात् जेम में रजिस्टर्ड फर्म KANAK CREATION, 01, Rajendra Nagar, Bilaspur (C.G.) को क्रय स्वीकृति आदेश क्र. 412 / विकास / 2025 रायपुर, दिनांक 23.05.2025 Gem Portal में Order No. GEMC-511687706249858 अपलोड कर आदेशित किया गया है। अतः माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष क्रय स्वीकृति आदेश जारी किए जाने की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

15. **स्टेशनरी सामग्री क्रय देयक रू. 8,35,975.00 (रुपए आठ लाख पैंतीस हजार नौ सौ पचहत्तर मात्र) भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।**

टीपः वि.वि. के विभिन्न विभागों / अध्ययनशालाओं / छात्रावासों एवं वि.वि. प्रेस को स्टेशनरी सामग्री सत्र 2024—25 के लिये आबंटन हेतु वि.वि. द्वारा निविदा सूचना क्र.837 / विकास / 2024 रायपुर, दिनांक 11 / 12 / 2024 समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था।

स्टेशनरी सामग्री हेतु न्यूनतम दर के आधार पर क्रय हेतु निम्नलिखित फर्मो के नाम से अलग—अलग आदेश प्रसारित किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है—

1. Vinayak Enterprises, Raipur
2. Cybernet, Raipur
3. Asheesh Enterprises, Raipur
4. जिला सहकारी संघ मर्यादित सहकारी मुद्रणालय, रायपुर
5. Maruti Traders, Raipur
6. Daksh Stationers, Raipur

पत्र क्र.119 / विकास / 2025 रायपुर, दिनांक 27 / 02 / 2025 के द्वारा विनायक इंटरप्राइजेस, बी.एल. प्लाजा, मालवीय रोड, रायपुर (छ.ग.) को निम्नानुसार सामग्री आपूर्ति हेतु आदेशित किया गया था।

उक्त फर्म द्वारा निम्नलिखित सामग्री की आपूर्ति की गई है, जिसका विवरण निम्नानुसार है—

क्र0	सामग्री का नाम	सामग्री का दर	क्रय किये जाने वाले सामग्री की संख्या	कुल राशि (जीएसटी सहित)
01	जे0के0 कापीयर पेपर A-4 (Red)	रू.232.20 प्रति रीम	2000 रीम	रू.4,64,400.00
In Words – Four Lakh Sixty Four Thousand Four Hundred Only.				

इसी प्रकार पत्र क्र.117 / विकास / 2025 रायपुर, दिनांक 27 / 02 / 2025 के द्वारा Cybernet, Radha Complex, Malviya Road, Raipur (C.G.) को सामग्री आपूर्ति हेतु आदेशित किया गया था।

उक्त फर्म द्वारा निम्नलिखित सामग्री की आपूर्ति की गई है, जिसका विवरण निम्नानुसार है—

क्र0	सामग्री का नाम	सामग्री का दर	क्रय किये जाने वाले सामग्री की संख्या	कुल राशि (जीएसटी सहित)
01	Handmade फाइल पेड	रू. 8679.50 प्रति हजार	30000 नग	रू.2,60,385.00
02	पीला लिफाफा 11"X 5" inch	रू.1111.90 प्रति हजार	1,00,000 नग	रू.1,11,190.00
कुल				**रू.3,71,575.00**
In Words – Three Lakh Seventy One Thousand Five Hundred Seventy Five Only.				

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 09/01/2025 पूरक विषय सूची क्र.22 में स्टेशनरी सामग्री क्रय हेतु राशि रू.26,00,000.00 (छब्बीस लाख मात्र) की स्वीकृति प्राप्त है। उक्त स्वीकृत राशि से फर्म विनायक इंटरप्राइजेस, रायपुर को रू. 4,64,400.00 एवं **Cybernet, Raipur (C.G.)** को रू. 3,71,575.00 कुल राशि रू. 8,35,975.00 (रुपये आठ लाख पैंतीस हजार नौ सौ पचहत्तर मात्र) भुगतान करने के लिये स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

16. **विश्वविद्यालय परिसर के उद्यानों के वार्षिक रख–रखाव 01 वर्ष के लिए कराये जाने के संबंध में विचार करना।**

टीपः

1. वित्तीय वर्ष 2024–25 में विश्वविद्यालय परिसर के उद्यानों के रख–रखाव का कार्य कार्यालय सहायक संचालक, उद्यान, प्रमुख उद्यान रायपुर (छ.ग.) द्वारा वार्षिक प्राक्कलन राशि रुपए 56,15,287.00 (रुपए छप्पन लाख पंद्रह हजार दो सौ सत्यासी मात्र) के सापेक्ष सम्पन्न किया गया था।
2. वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए कार्यालय सहायक संचालक, उद्यान, प्रमुख उद्यान रायपुर (छ.ग.) को उक्त कार्य हेतु विश्वविद्यालय पत्रांक 1275/यांत्रिकी/2025 रायपुर, दिनांक 06.02.2025, 1303/यांत्रिकी/2025 रायपुर, दिनांक 03.03.2025, एवं 1208/यांत्रिकी/2025 रायपुर, दिनांक 07.03.2025 द्वारा प्राक्कलन प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया ।
3. कार्यालय सहायक संचालक, उद्यान, प्रमुख उद्यान रायपुर (छ.ग.) द्वारा अपने पत्र संख्या क्रमांक/उद्यान/स्था./2024–25/713, रायपुर दिनांक 10.03.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में उक्त कार्य को करने में असमर्थता व्यक्त की गई।
4. कार्यालय सहायक संचालक, उद्यान, प्रमुख उद्यान रायपुर (छ.ग.) द्वारा असमर्थता व्यक्त किये जाने के कारण कार्यपरिषद् दिनांक 24.03.2025 के निर्णय क्रमांक 05 के क्रम में सक्षम अनुमति उपरांत उक्त कार्य हेतु टेंडर जारी करने का निर्णय लिया गया।
5. पुनः कार्यालय सहायक संचालक, उद्यान, प्रमुख उद्यान रायपुर (छ.ग.) द्वारा पत्र संख्या क्रमांक/उद्यान/स्था./2025–26/39, रायपुर दिनांक 08.04.2025 द्वारा रुपए 70,84,964.00 (रुपए सत्तर लाख चौरासी हजार नौ सौ चौसठ मात्र) का प्राक्कलन प्रस्तुत करते हुए कार्य करने का आग्रह किया गया।
6. किन्तु इस अवधि में विश्वविद्यालय द्वारा जारी टेंडर की प्रक्रिया पूर्णता की ओर बढ़ गई थी।
7. वि.वि. विश्वविद्यालय परिसर के उद्यानों के वार्षिक रख–रखाव हेतु निविदा सूचना क्र. 238/विकास/2025 रायपुर, दिनांक 07/04/2025 द्वारा निविदा छ.ग. संवाद के माध्यम से समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था। निर्धारित तिथि तक निम्नलिखित 06 फर्मों के द्वारा सीलबंद लिफाफा में निविदा प्रस्तुत किया गया था।

तकनीकी बीड में योग्य पाये गये फर्मों का विवरण निम्नानुसार है :–

1. Florence Flora, Near Little Flower School, Byran Bazar, Raipur
2. Yours Construction, Near Megh Market, Budhapara, Raipur
3. AM Contractor, Shop No.11, New Bus Stand, Durg (Chhattisgarh)

तकनीकी बीड में अयोग्य पाये गये फर्मों का विवरण निम्नानुसार है–

1. A.K. Enterprises, Beside R.S. Park, Byron Bazar, Raipur (C.G.)
2. Yash Enterprises & Security Servises, M.II/112, Fesh-2, Kabir Nagar, Ring Road No.2, Raipur (C.G.)
3. New Bharat Security & Detective Services, Thana Road, Mohba Bazar, Tatibandh, Raipur (C.G.)

उपरोक्त योग्य फर्मों का फायनेंसियिल बीड खोला गया जिसमें फर्म Florence Flora, Near Little Flower School, Byran Bazar, Raipur के द्वारा प्रस्तुत दर Rs.9.55 (Nine Rupees Fifty Five Paisa Only) Per Sq. Ft दर प्रस्तुत किया गया है, जो अन्य फर्मों के द्वारा प्रस्तुत दर से कम है। उक्त दर पर कार्य कराये जाने पर विश्वविद्यालय पर वार्षिक व्ययभार लगभग रुपए 46,45,588.00 (रुपए छियालीस लाख पैंतालीस हजार पाँच सौ अठ्यासी मात्र) आएगा, जो कार्यालय सहायक संचालक, उद्यान, प्रमुख उद्यान रायपुर (छ.ग.) से वार्षिक आधार पर प्राप्त प्राक्कलन राशि रुपए 70,84,964.00 (रुपए सत्तर लाख चौरासी हजार नौ सौ चौसठ मात्र) से काफी कम है। अतः न्यूनतम दर के आधार पर Florence Flora, Near Little Flower School, Byran Bazar, Raipur से आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय परिसर में स्थित उद्यानों के वार्षिक रख–रखाव का कार्य 01 वर्ष के लिये कराये जाने के लिये स्वीकृति सहित प्रकरण के संबंध में विचार हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत है।

<u>अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

17. **शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय, धरसीवां, रायपुर को हिंदी विषय में शोध–केंद्र की मान्यता के संबंध में विचार करना।**

<u>टीप</u> : हिंदी विषय की शोध उपाधि समिति (RDC) की बैठक दिनांक 20.05.2025 के निर्णयानुसार शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय, धरसीवां, रायपुर को हिंदी विषय में शोध–केंद्र की मान्यता प्रदान किए जाने की अनुशंसा की गई है। संशोधित विनियम क्रमांक–107 की कंडिका–08 के प्रावधानानुसार प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

18. **स्व. राजा वीरेन्द्र बहादुर सिंह शासकीय महाविद्यालय, सरायपाली को हिंदी विषय में शोध–केंद्र की मान्यता के संबंध में विचार करना।**

<u>टीप</u> : हिंदी विषय की शोध उपाधि समिति (RDC) की बैठक दिनांक 20.05.2025 के निर्णयानुसार स्व. राजा वीरेन्द्र बहादुर सिंह शासकीय महाविद्यालय, सरायपाली को हिंदी विषय में शोध–केंद्र की मान्यता प्रदान किए जाने की अनुशंसा की गई है। संशोधित विनियम क्रमांक–107 की कंडिका–08 के प्रावधानानुसार प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

19. **अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।**

आदेशानुसार,
3/6/25
कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 1044/अका./का.प/2025 — रायपुर, दिनांक 03/06/2025

प्रतिलिपिः–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

उप–कुलसचिव (अका.)

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाषः 0771–2262802(अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स– 0771–2262818, 2262607

क्रमांक : 807 /अका./का.प/2025 रायपुर, दिनांक 24/04/2025

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की '97वाँ' बैठक गुरुवार दिनांक 24.04.2025 को अपराह्न 3.00 बजे कुलपति सचिवालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:–

डॉ. सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति – अध्यक्ष

1.	श्री मोतीलाल साहू	– सदस्य	8.	डॉ. (श्रीमती) राधा पाण्डेय	– सदस्य
2.	श्री पुरन्दर मिश्रा (Online)	– सदस्य	9.	डॉ. मेघेश तिवारी	– सदस्य
3.	डॉ. एन. बोधनकर	– सदस्य	10.	श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट (Online)	– सदस्य
4.	डॉ. अशोक कुमार प्रधान	– सदस्य	11.	श्री बदन कुमार ठाकुर, अवर सचिव, वित्त	– सदस्य
5.	डॉ. कल्लोल कुमार घोष	– सदस्य	12.	डॉ. विजयानंद सिंह	– सदस्य
6.	डॉ. अल्फा रेखा सी. जेम्स	– सदस्य	13.	श्री कमलेश ठोकने	– सदस्य
7.	डॉ. मनोज कुमार मिश्रा,	– सदस्य	14.	श्री प्रकाश चंद्र चोपड़ा	– सदस्य

डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल, कुलसचिव – सचिव

अनुपस्थित सदस्य– श्री गुरु खुशवंत साहेब, श्री रोहित साहू, श्री योगेश्वर राजू सिन्हा, डॉ. गिरीश चंदेल, प्रो. मधुश्री शेखर

कार्यवृत्त

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 24.03.2025 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान कर पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः सूचना ग्रहण करते हुए संपुष्टि प्रदान की गई।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

2. श्री प्रकाश सिंह ठाकुर, प्रथम श्रेणी लिपिक (से.नि.) के अर्जित अवकाश नदीकरण रु. 5,86,800/– (रुपए पाँच लाख छियासी हजार आठ सौ मात्र) भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णयः प्रस्तावानुसार भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

3. डॉ. एस.एस. अग्रवाल, स्वास्थ्य अधिकारी, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के सेवानिवृत्त होने के कारण सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 36,05,437.00 (रुपए छत्तीस लाख पाँच हजार चार सौ सैंतीस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णयः प्रस्तावानुसार भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

4. श्रीमती अन्दरबती, मेड सर्वेंट, ग्रंथालय, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के सेवानिवृत्त होने के कारण सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 7,66,123.00 (रुपए सात लाख छैंसठ हजार एक सौ तेईस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णयः प्रस्तावानुसार भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

5. Research Seed Money के नाम से आय–व्यय लेखांकन कार्य हेतु नवीन बचत खाता क्र. 43956388177 में अनुदान मद से राशि रु. 25.00 लाख (रुपए पच्चीस लाख मात्र) अंतरित किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णयः **Research Seed Money के नाम से आय–व्यय लेखांकन कार्य हेतु स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत नवीन बचत खाता क्र. 43956388177 में अनुदान मद से राशि रु. 25.00 लाख (रुपए पच्चीस लाख मात्र) अंतरित किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।**

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

6. श्री के.पी. राठौर, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता से प्राप्त Resume के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कार्यपरिषद् की 96वीं बैठक दिनाँक 24.03.2025 के पूरक सूची के निर्णय क्रमांक 18 के क्रम में श्री के.पी. राठौर से संबंधित आवेदन पर विचार आगामी निर्देश तक स्थगित रखा जाए।**

7. श्री महेन्द्र कुमार भिड़े वरिष्ठ अधिक्षक (निलंबित) के पेंशन प्रकरण के संबंध में अधिवक्ता श्री नीरज चौबे से प्राप्त विधिक अभिमत पर विचार करना।

निर्णयः **श्री महेन्द्र कुमार भिड़े वरिष्ठ अधिक्षक (निलंबित) के पेंशन प्रकरण के संबंध में अधिवक्ता श्री नीरज चौबे से प्राप्त विधिक अभिमत पर सदस्यों द्वारा परिशीलन एवं चर्चा उपरान्त परिनियम 31 की कंड़िका 61 के प्रकाश में कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि श्री महेन्द्र कुमार भिड़े की निलंबन तिथि से अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि के मध्य की अवधि के सेवाकाल को मात्र पेंशन प्रयोजन हेतु मान्य किया जाए। भविष्य में यह निर्णय श्री भिड़े से संबंधित अन्य किसी विषय अथवा अन्य किसी प्रकरण के लिए नजीर की भाँति प्रयुक्त न किया जाए।**

बायोटेक्नालॉजी अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :–

8. जैवप्रौद्योगिकी स्नातकोत्तर छात्रों के परियोजना कार्य का शुल्क निर्धारण के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **जैव प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में विभाग की प्रयोगशालाओं का उपयोग परियोजना कार्य हेतु किए जाने पर परियोजना शुल्क के रूप में (अधिकतम 6 माह के लिए) रू. 30,000.00 (रूपये तीस हजार) मात्र जमा करना होगा। यह शुल्क सभी वर्ग, जाति, लिंग, आदि के लिए समान होगा और अनिवार्यतः देय होगा। 06 माह से कम अवधि के संदर्भ में यह धनराशि समानुपातिक रूप से विभक्त की जा सकेगी।**

भौतिकी एवं खगोल भौतिकी अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :–

9. भौतिकी एवं खगोल भौतिकी अध्ययनशाला से Revenue Generation में संशोधन प्रस्ताव के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **भौतिकी एवं खगोल भौतिकी अध्ययनशाला से Revenue Generation में निम्नानुसार संशोधन का अनुमोदन किया गया –**

1. Revised fees for project work under inspire fellowship and without any fellowship as follow (Approved in staff council on 06-03-2025) :-

S.No.	Project Work	Old Fees (in Rs.)	Revised Fees (In Rs.)
1	Under Inspire Fellowship	5000/-	7500/-
2	Without any Fellowship	1000/-	2500/-

2. Revised fees structure for availing the instrumentation facilities
Revised Fees structure for Advance Research Facilities (Approved in staff council on 25-09-2024)

S.No.	Instrument Facility	Old Fees (Rs.)	Revised Fees (Rs.)
1	X-Ray Diffraction (XRD)	500	500
2	Fourier Transform Infra Red (FTIR)	500	500

3	Differential Scanning Calorimetry (DSC) (Temp. -25 to 500° C)	500	1000
4	Thermal Gravimetric Analysis (TGA) (Temp. 25 to 1100° C)	500	600
5	Photoluminescence Study (PL) (Excitation and Emission Spectra)	100	200 (per excitation wavelength)
6	Mechanoluminescence Study (ML)	100	100
7	Thermoluminescence Study (TL)/OSL Reader	100	600
8	Impedance Spectroscopy	100	100
9	Galvanostat (Potentiostat)	100	200
10	High Temperature Furnace Up to 1000° C	100	500 (per slot)
11	High Temperature Furnace >1000° C (Max. Limit 1500° C)	200	700 (per slot)
12	High Temperature Furnace >1500° C (Max. Limit 1700° C)	400	1000 (per slot)

3. Revenue Distribution of the fees for advance research facilities as decided in the staff council dated 25-09-2024 and for project work under Inspire fellowship/without fellowship, are as follow:
    - 30% - Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur.
    - 30% - Department i.e. SoS in Physics and Astrophysics, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur.
    - 30% Supervisors like Subject Experts/Regular Faculties/Guest Faculties/Alumni.
    - 05% Technical Staff.
    - 05% Clerical Staff (Class III and IV).

उपरोक्त के संबंध में यह भी निर्णय लिया गया कि Revenue Generation के प्रस्ताव की प्रत्येक तीन वर्ष में अनिवार्यतः समीक्षा की जाए एवं आवश्यक होने पर मध्यावधि में भी संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है।

पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.04.2025 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना।

निर्णयः कार्यवृत्त के विषयसूची बिन्दु क्रमांक 06, 10, 11, 15 एवं 16 पर कार्यपरिषद् अध्यक्ष की अनुमति से पृथक रूप से भी चर्चा की गई। तत्संबंधित बिन्दुओं पर कार्यपरिषद् का भी अभिमत पृथक से उल्लेखित किये जाने के निर्णय के साथ सम्पूर्ण कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

2. सत्र 2024–25 में महाविद्यालय को प्रदान की जाने वाली सब्सिडी राशि रु. 8.70 लाख (रुपए आठ लाख सत्तर हजार मात्र) भुगतान के संबंध में विचार करना।

निर्णयः प्रस्तावानुसार भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

3. शिक्षकों के कैरियर एडवांस स्कीम (CAS) के तहत पदोन्नति उपरांत एरियर्स की सकल राशि रुपए 69,48,452.00 (रुपए उनहत्तर लाख अड़तालीस हजार चार सौ बावन मात्र) (नियमानुसार सी.पी.एफ. एवं 30 प्रतिशत आयकर कटौती प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 20 प्रतिशत आयकर कटौती अतिरिक्त) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः प्रस्तावानुसार भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

4. सेमेस्टर परीक्षा दिस.–जन. 2024–2025 एवं वार्षिक परीक्षा 2025 के अग्रेषण शुल्क राशि रुपए 36,84,970/– (रुपए छत्तीस लाख चौरासी हजार नौ सौ सत्तर मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः प्रस्तावानुसार भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

5. वार्षिक परीक्षा 2025 केन्द्रीय मूल्यांकन इकाई हेतु अग्रिम राशि रुपए 84,35,000/– (रुपए चौरासी लाख पैंतीस हजार मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **प्रस्तावित विश्वविद्यालय बजट 2025–26 B. Examination head of S.N. 6. Evaluation of Answersheet, में प्रावधानित राशि रु. 400.00 लाख में से विश्वविद्यालय वार्षिक परीक्षा 2025 के मूल्यांकन केन्द्रीय मूल्यांकन इकाई/संग्रहण केन्द्र/पुनर्मूल्यांकन इकाई (मूल्यांकन, पारिश्रमिक, टी.ए./डी.ए. एवं अन्य पारिश्रमिक) हेतु अग्रिमकर्ता/समन्वयक को राशि रुपए 84,35,000/– (रुपए चौरासी लाख पैंतीस हजार मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।**

6. DST-PURSE-Project के अंतर्गत Consumable, Travel, Seminar Conferences/workshop & overhead मद की वर्ष 2023–24 में अग्रिम राशि 16,37,570 (राशि सोलह लाख सैंतीस हजार पांच सौ सत्तर मात्र) समायोजन के स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **DST-PURSE-Project के अंतर्गत Consumable, Travel, Seminar Conferences/workshop & overhead मद की वर्ष 2023–24 में अग्रिम राशि 16,37,570 (राशि सोलह लाख सैंतीस हजार पांच सौ सत्तर मात्र) समायोजन की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की गई –**

S.N.	Head	Advance	Expenditure 09-03-22 to 31-03-23	Expenditure 01-04-2023 to 31-03-2024	Balance/Excess
1	Consumables	50,00,000.00	Nil	9,33,420.00	40,66,580.00
2	Travel	2,99,924.00	Nil	2,04,395.00	95,529.00
3	Overhead	4,00,000.00	Nil	3,99,755.00	245.00
4	Seminar, Conferences/ workshop	6,00,000.00	Nil	1,00,000.00	5,00,000.00
5	Bank Interest	93,312.00	-	0	93,312.00
	Total amount	**63,93,236.00**	**Nil**	**16,37,570.00**	**47,55,666.00**

7. Chartered Accountants Firm for Maintenance of Accounts, Compliance, Taxation and Consultancy work of PRSU, Raipur हेतु कार्य/अनुबंध में वित्तीय वर्ष 2025–26 (दिनांक 01.04.2025 से 31.03.2026 तक) के लिए अर्थात् 01 वर्ष की वृद्धि की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **कार्यपरिषद् के सदस्यों को कुलसचिव द्वारा अवगत कराया गया कि अनुबंधित फर्म P.R. Sancheti & Company, Chartered Accountants, Raipur का कार्य संतोषजनक है तथा फर्म के द्वारा एक वर्ष की वृद्धि के साथ पूर्व अनुबंधित राशि रुपए 4.8 लाख (रुपए चार लाख अस्सी हजार मात्र) को बढ़ाकर रुपए 7.5 लाख (रुपए सात लाख पचास हजार मात्र) किये जाने का प्रस्ताव दिया गया है। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वित्तीय नियमों के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025–26 में पूर्व अनुबंधित राशि में 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुए एक वर्ष के लिए पुनः सेवावृद्धि किये जाने का अनुमोदन किया गया।**

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

8. CIF(NCNR) विभाग के FTIR उपकरण क्रय देयक रु. 30,68,000=00 (रुपए तीस लाख अड़सठ हजार मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **वित्तीय वर्ष 2024–25 के मुख्य बजट में नवीन मद के रूप में प्रावधानित पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में स्टार्टअप, इनोवेशन एवं रिसर्च तथा अपग्रेडेशन ऑफ इन्स्ट्रूमेंटेशन फेसिलिटी के अंतर्गत शासन से प्राप्त अनुदान राशि रु. 50.00 लाख (रुपए पचास लाख मात्र) के सापेक्ष स्टार्टअप, इनोवेशन एवं रिसर्च से संबंधित उपकरणों के क्रय हेतु राशि रूपए 27,90,700/–(सत्ताईस लाख नब्बे हजार सात सौ रूपए मात्र) तथा अपग्रेडेशन ऑफ इन्स्ट्रूमेंटेशन फेसिलिटी हेतु उपकरण क्रय राशि रूपए 30,68,000/– (तीस लाख अड़सठ हजार) कुल राशि रूपए 58,58,700/– (अन्ठावन लाख अन्ठावन हजार सात सौ रूपए मात्र) के सापेक्ष प्रस्तावित उपकरणों राज्य शासन से प्राप्त मद से CIF(NCNR) विभाग के FTIR उपकरण क्रय देयक रु. 30,68,000=00 (रुपए तीस लाख अड़सठ हजार मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।**

9. वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा पूर्व कार्य सत्र 2024–25 का देयक राशि रू. 3,48,03,165=00 (रुपए तीन करोड़ अड़तालीस लाख तीन हजार एक सौ पैंसठ रूपये मात्र) के भुगतान के लिए स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा पूर्व कार्य सत्र 2024–25 का देयक राशि रू. 3,48,03,165=00 (रुपए तीन करोड़ अड़तालीस लाख तीन हजार एक सौ पैंसठ रूपये मात्र) अनुबंधित फर्म भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित, आदर्श नगर, कांके रोड, रॉंची (NCCF) को निम्नानुसार भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई –**

Bill No.GM/25-26/03			**Date 09-APR-2025**		
S\N	**Description**	**Quantity**	**Rate**	**GST**	**Amount**
01	Pre Examination Processing Semester Examination Jan 2024-25	69,392 CAN	Rs. 210.50	18%	Rs. 1,46,07,016.00
02	Pre Examination Processing Annual Examination Mar-Apr 2025	70,723 CAN	Rs. 210.50	18%	Rs. 1,48,87191.00
	Total	1,40,115 CAN			Rs. 2,94,94,207.50
				GST	Rs. 53,08,957.35
				Total	**Rs. 3,48,03,165.00**
INR Three Crore Forty Eight Lakh Three Thousand One Hundred Sixty Five Only					

भुगतान हेतु मद– F.Examination and Evaluation Administration (3)
Result Processing Charge, Financial Year 2025-26,
प्रावधानित राशि–राशि रू.1100.00 लाख

10. विश्वविद्यालय कैम्पस एरिया नेटवर्क एवं सर्वर वार्षिक रख–रखाव कार्य के अनुबंध में 03 माह वृद्धि हेतु कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **विश्वविद्यालय कैम्पस एरिया नेटवर्क एवं सर्वर वार्षिक रख–रखाव कार्य के लिए वैकल्पिक व्यवस्था एवं नवीन निविदा प्रकिया के द्वारा नये फर्म का चयन होते तक संबंधित फर्म Sai Info Services, No.-14, Shiv Residency, Mathpurena, Raipur (C.G.) के अनुबंध में 03 माह (दिनांक 13/03/2025 से 13/06/2025 तक) के लिए आदेश क. 231/विकास/2025 रायपुर, दिनांक 03/04/2025 के द्वारा वृद्धि किया गया है। उक्तानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।**

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

11. डॉ. श्रीमती दीप्ति ठाकुर, सहायक प्राध्यापक, गणित अध्ययनशाला के धारणाधिकार की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **डॉ. श्रीमती दीप्ति ठाकुर, सहायक प्राध्यापक, गणित अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को नियुक्त पद (सह–प्राध्यापक) पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पूर्व नियुक्त पद सहायक प्राध्यापक पर धारणाधिकार अधिकतम 02 वर्ष के लिए प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई।**

12. डॉ. अदीप कुजूर, सहायक प्राध्यापक, फार्मेसी संस्थान, धारणाधिकार की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **डॉ. अदीप कुजूर, सहायक प्राध्यापक, फार्मेसी संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को नियुक्त पद (सह–प्राध्यापक) पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पूर्व नियुक्त पद सहायक प्राध्यापक पर धारणाधिकार अधिकतम 02 वर्ष के लिए प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई।**

13. डॉ. संजय तिवारी, प्राध्यापक को धारणाधिकार स्वीकृति एवं कार्यमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **डॉ. संजय तिवारी, प्राध्यापक, इलेक्ट्रानिक्स एवं फोटानिक्स अध्ययनशाला को माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग में कुलपति पद पर नियुक्ति किए जाने के क्रम में उक्त पद पर डॉ. तिवारी के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधिकतम 05 वर्ष की अवधि के लिये धारणाधिकार प्रदान करते हुए वर्तमान प्राध्यापक पद से भारमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।**

गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

14. गोपनीय मुद्रण भुगतान के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **सेमेस्टर परीक्षा दिसम्बर–जनवरी 2024–25 तथा पी–एच.डी. प्रवेश परीक्षा 2024 के सम्पन्न पश्चात् गोपनीय मुद्रण कार्य हेतु अनुबंधित फर्म द्वारा प्रस्तुत देयक राशि रुपये 1,50,13,519.00 (रुपए एक करोड़ पचास लाख तेरह हजार पाँच सौ उन्नीस मात्र) जी.एस.टी. सहित भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।**

विधिक प्रकोष्ठ से प्राप्त प्रस्ताव :–

15. श्री आशुतोष सिंह कछवाहा, अधिवक्ता को माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में विश्वविद्यालय के पक्ष रखने के लिए विश्वविद्यालय के पैनल अधिवक्ता के रूप में सम्मिलित करने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।**

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

16. शासकीय जे. योगानन्दम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर को प्राणी विज्ञान विषय में शोध–केंद्र की मान्यता के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **शासकीय जे. योगानन्दम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर को प्राणी विज्ञान विषय में शोध–केंद्र की मान्यता के संबंध में बिन्दुवार जानकारी के साथ प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।**

17. श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय, रायपुर को राजनीति विज्ञान विषय में शोध–केंद्र की मान्यता के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **राजनीति विज्ञान शोध उपाधि समिति के निर्णय के अनुक्रम में पुस्तकालय की सुविधा बढ़ाने तथा शोधार्थियों को उचित सुविधा प्रदान किये जाने के शर्त पर तीन वर्ष के लिये शोध केन्द्र की अस्थायी मान्यता प्रदान किये जाने का अनुमोदन किया गया।**

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

01. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु–1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.04.2025 के बिंदु क्रमांक 06 में अध्यादेश क्र. 170 (2)(e) में "B.Sc. in Biological Sciences Shall be eligible for admission in M.Sc. Microbiology" एवं अध्यादेश क्र. 170 (2)(p) "M.Sc. Data Science" समाहित किए जाने की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णयः अध्यादेश क्र. 170 (2)(e) में "B.Sc. in Biological Sciences Shall be eligible for admission in M.Sc. Microbiology" एवं अध्यादेश क्र. 170 (2)(p) "M.Sc. Data Science" में संशोधन को समाहित करते हुए निम्नानुसार अनुशंसा का अनुमोदन किया गया –

Ordinance No.		Current provisions	Proposed Provisions	Justification
170	2	(e)For admission in Bioscience, Biochemistry, Biotechnology and Herbal Science Technology, a candidate must have offered subjects of Biological Science at B.Sc. level. If any difficulty arises in this connection, the matter shall be referred to a committee consisting of Dean of the Faculty and Chairman Board of Studies and Head of subject concerned.	(e)For admission in Microbiology, Bioscience, Biochemistry, Biotechnology and Herbal Science Technology, a candidate must have offered subjects of Biological Sciences at B.Sc. level. If any difficulty arises in this connection, the matter shall be referred to a committee consisting of Dean of the Faculty and Chairman Board of Studies and Head of subject concerned.	Microbiology is also Allied subject .
	2	Not exits	(p) For Admission in M.Sc. Data Science a candidate should have a Bachelor's degree in Science /Art/Commerce at least 2nd division with one paper Maths	Start New Course M.Sc. Data Science

02. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु–1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.04.2025 के बिंदु क्रमांक 10 में शैक्षणिक उत्कृष्टता की दृष्टि से निम्नांकित 11 नीतियों (Policy) को विश्वविद्यालय में लागू किये जाने हेतु अधिसूचना क्रमांक 650.A/अका./2023 दिनांक 09.09.2023 की सूचना ग्रहण कर अनुमोदन प्रदान करना –

1. Guidelines for Curriculum Feedback
2. Manual for Outcome based Curriculum framework
3. Policy on Slow and Advanced Learners
4. Policy on Recognizing and Rewarding Outstanding Achievements of Faculty, Staff and Students
5. Institution Innovation Council Policy
6. Code of Ethics for Research
7. Code of Conduct for Faculty, Non-Teaching Staff, and Students
8. Memorandum of Understanding (MoU) Policy
9. University Cyber Policy (Information Technology Infrastructure Usage Policy)
10. Placement Policy
11. Guidelines for Alumni Cell

निर्णयः सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

03. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु–1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.04.2025 के बिंदु क्रमांक 11 में शैक्षणिक उत्कृष्टता की दृष्टि से निम्नांकित 16 नीतियों (Policy) को विश्वविद्यालय में लागू किये जाने हेतु अधिसूचना क्रमांक 2457/अका./2024 दिनांक 24.01.2024 की सूचना ग्रहण कर अनुमोदन प्रदान करना –

1. Institutional Research and Development Policy
2. Policy on Establishing and Operationalizing the Central Instrument Facility (CIF)
3. Environment and Energy Usage Policy

4. Solid Waste and E-Waste Management Policy
5. Fees Refund Policy
6. Website Policy
7. Plagiarism Policy
8. Social-Extension (SE) Policy
9. Publicity and Competitive Marketing Policy
10. Student Support Policy
11. Information Technology Infrastructure Usage Policy
12. Policy on Biodiversity Compliance Cell (BCC)
13. Policy on the Equal Opportunity Cell (EOC)
14. Maintenance Policy
15. e-governance Policy
16. Resource mobilisation policy

निर्णयः **सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।**

04. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु–1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.04.2025 के बिंदु क्रमांक 15 में "श्रीमंत शंकर देव शोध पीठ" के प्रस्तावित विनियम की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णयः **"श्रीमंत शंकर देव शोध पीठ" का विनियम क्रमांक 222 की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।**

05. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु–1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.04.2025 के बिंदु क्रमांक 16 में पी–एच.डी. से संबंधित संशोधित अध्यादेश 45 के अनुक्रम में निम्नांकित बिन्दुओं की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना –

1. प्रत्याशियों को पी–एच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश देते समय विभागीय शोध समिति (DRC) द्वारा प्रादेशिक आरक्षण नीति का समुचित ध्यान रखने पर विचार करना।
2. ऐसे शोध निदेशक जो शोध केन्द्र में पदस्थ नहीं है। उनके अधीन शोध छात्र का पंजीयन शोध निदेशक के नजदीकी शोध केन्द्र में अथवा विश्वविद्यालय परिसर स्थित शोध केन्द्र में किये जाने, किन्तु इस स्थिति में शोधार्थी को शोध केन्द्र से एक सह–निदेशक लेना अनिवार्य किए जाने पर विचार करना।
3. आरक्षण शोध निदेशक की ओर लागू होगा तथा सह–निदेशक पर उनके रिक्त सीट के आधार पर प्रवेश हेतु विचार करना।
4. Revised Ordinance-45 की कंडिका 10(g) के अनुसार निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने वाले राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय शोध संस्थान में कार्यरत Scientist/Director/Research Officer/Equivalent position को विश्वविद्यालय Supervisor/Co-supervisor मान्य किये जाने के संदर्भ में विचार।
5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना क्रमांक– F.No.1-1/2018 (CARE/JOURNAL)- Part file 22 माघ 1946/11 February, 2025 के संबंध में चर्चा एवं विचार।
6. संशोधित अध्यादेश–45 में आवश्यक संशोधन एवं अध्यादेश के सुचारू क्रियान्वयन हेतु विनियम बनाने हेतु समिति गठित करने पर विचार।

निर्णयः **विद्यापरिषद् की स्थायी समिति को कुलसचिव ने अवगत कराया कि पी–एच.डी. से संबंधित संशोधित अध्यादेश 45 के अनुक्रम में बायोटेक्नोलॉजी अध्ययनशाला तथा जैविकी अध्ययनशाला की वर्ष 2009 से 2025 तक की विभागीय शोध समिति पंजी का अवलोकन किया गया। जिसमें परिलक्षित हुआ कि वर्ष 2016 से पूर्व शोध छात्रों को प्रवेश देते समय आरक्षित वर्ग का छात्र उपलब्ध नहीं होने पर अन्य वर्ग से प्रवेश दिया जाता था। पी–एच.डी. संबंधी मूल नस्ती के पृष्ठ क्रमांक–49 पर सन् 2016 में माननीय कुलपतिजी द्वारा गठित समिति द्वारा "प्रवेश के समय किसी भी स्थिति में आरक्षित वर्ग की सीट अन्य वर्ग से नहीं भरा जाए" का निर्णय भी लिया गया है।**

विश्वविद्यालय विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08.01.2018 में शोध निदेशक तथा सह निदेशक के निर्धारण संबंधी निर्णय लिया गया है किन्तु सहनिदेशक के आरक्षण के संबंध में तथा आरक्षित

सीटों की क्रमानुसार पूर्ति करने के संबंध में निर्णय परिलक्षित नहीं है। उक्त के अनुक्रम में समग्रता के साथ चर्चा उपरांत निम्नानुसार अनुशंसा का अनुमोदन किया गया –

1. प्रत्येक शोध निदेशक के लिये निर्धारित सीटों में से छत्तीसगढ़ शासन के प्रवेश नीति में दर्शित प्रतिशत के अनुसार विभिन्न वर्गो के लिये सीट आरक्षित होगी।
2. ऐसे शोध निदेशक जो शोध केन्द्र में पदस्थ नहीं है, वे अपने अधीन शोधार्थियों के शोध पंजीयन हेतु नजदीकी शोध केन्द्र अथवा विश्वविद्यालय परिसर स्थित संबंधित शोध केन्द्र का चयन कर सकते हैं, किन्तु ऐसी स्थिति में शोधार्थी के लिये उस शोध केन्द्र से एक सह–निदेशक रखना अनिवार्य होगा। साथ ही, शोध निदेशक केवल एक ही शोध केन्द्र का चयन कर सकेंगे।
3. किसी शोध छात्र के प्रवेश में आरक्षण का प्रावधान शोध निदेशक के लिये निर्धारित सीटों पर लागू होगा। शोध छात्र के साथ सह–निदेशक होने की स्थिति में सह–निदेशक की उपलब्ध सीटों में से प्रथमतः शोध छात्र के वर्ग की सीट आबंटित की जायेगी। यदि सह–निदेशक के पास उस वर्ग की सीट उपलब्ध नहीं है, तो शोध प्रसार की दृष्टि से अन्य वर्ग की उपलब्ध सीट से प्रवेश दिया जा सकेगा, किन्तु ऐसी स्थिति में मूल वर्ग की सीट को बैकलाग मानते हुए यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अगली रिक्ति पर अनिवार्यतः उस वर्ग की सीट से ही प्रवेश दिया जाए।
4. विश्वविद्यालय से **MOU** हस्ताक्षरित करने वाले राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय शोध संस्थान में कार्यरत **Scientist/ Director/ Research Officer** अथवा समकक्ष पदधारी को **RDC** की संस्तुति पर विश्वविद्यालय के मान्य **Supervisor/Co-supervisor** के रूप में मान्यता प्रदान की जा सकेगी।
5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना क्रमांक– **F.No.1-1/2018 (CARE/JOURNAL)- Part file 22** माघ **1946/11 February, 2025** को अंगीकृत किया गया।
6. संशोधित अध्यादेश–45 में आवश्यक संशोधन एवं अध्यादेश के सुचारू क्रियान्वयन हेतु विनियम बनाने हेतु निम्नानुसार समिति गठित की गई –
   1. डॉ. कल्लोल कुमार घोष, प्राध्यापक, रसायन अध्ययनशाला
   2. डॉ. निनाद बोधनकर, अध्यक्ष, **Research & Development Cell,**
   3. डॉ. (श्रीमती) स्वर्णलता सराफ, संकायाध्यक्ष, टेक्नालॉजी संकाय
   4. डॉ. (श्रीमती) माया वर्मा, संकायाध्यक्ष, कला संकाय

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।

24/4/25
कुलपति
अध्यक्ष

24/4/25
कुलसचिव
सचिव

पृ.क्रमांक : 808 /अका./का.प/2025 — रायपुर, दिनांक 24 /04/2025

प्रतिलिपि :–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक–सी–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
4. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
6. संचालक, आई.क्यू.ए.सी.
7. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
8. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
9. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप–कुलसचिव (अका.)

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाषः 0771–2262802(अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स– 0771–2262818, 2262607

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की '98वाँ' बैठक शुक्रवार दिनांक 10.06.2025 को अपराह्न 3.00 बजे की पूरक विषयसूची

1. **विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 05.06.2025 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना।** **(पृष्ठ क्र. 03 से 08 तक)**

   टीपः कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

2. **विश्वविद्यालय कैम्पस एरिया नेटवर्क एवं सर्वर वार्षिक रख–रखाव कार्य के अनुबंध में 03 माह (दिनांक 13.06.2025 से 12.09.2025 तक) वृद्धि किये जाने के संबंध में विचार करना।**

   टीपः विश्वविद्यालय कैम्पस एरिया नेटवर्क एवं सर्वर वार्षिक रख–रखाव कार्य के लिए किया गया अनुबंध दिनांक 12.03.2025 को समाप्त हो चुका था। वैकल्पिक व्यवस्था एवं नवीन निविदा प्रक्रिया के द्वारा नये फर्म का चयन होते तक संबंधित फर्म Sai Info Services, No.-14, Shiv Residency, Mathpurena, Raipur (C.G.) के अनुबंध में 03 माह (दिनांक 13.03.2025 से 12.06.2025 तक) के लिए आदेश क्र. 231/विकास/2025 रायपुर, दिनांक 03.04.2025 के द्वारा वृद्धि किया गया था। प्रथम निविदा में 01 ही निविदा प्राप्त होने के कारण द्वितीय निविदा सूचना जारी किया गया है।

   अतः निविदा प्रक्रिया के द्वारा नये फर्म के चयन होने तक फर्म के अनुबंध में पुनः 03 माह (दिनांक 13.06.2025 से 12.09.2025 तक) वृद्धि किये जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

3. **श्री हेमंत साहू, निम्न वर्ग लिपिक, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रकरण में कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय से प्राप्त पत्र क्र. 205/70/आउशि/वि.वि.अनु./2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 03.06.2025 के संबंध में विचार करना।**

   टीपः

   1. कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय से प्राप्त पत्र क्रमांक 205/70/आउशि/वि.वि. अनु./2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 03.06.2025 अवलोकनार्थ प्रस्तुत।
   2. पत्र प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर विधि एवं शासन के नियम/निर्देशों के अनुरूप निर्णय लेकर प्रकरण निराकृत किये जाने का उल्लेख किया गया है।
   3. प्रकरण के निराकरण हेतु कुलपति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु श्री हेमन्त साहू द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर से याचिका क्रमांक 1954/2020 को वापस लिया गया है।
   4. प्रकरण क्रमांक – 1954/2020 श्री हेमन्त साहू विरूद्ध छ.ग. शासन एवं अन्य पर माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.09.2024 के परिपालन में विश्वविद्यालय द्वारा प्रकरण के निराकरण हेतु चार सदस्यीय समिति गठित की गई है। वर्तमान में समिति द्वारा अभ्यावेदन का परीक्षण एवं जाँच किया जा रहा है, तदोपरांत जाँच प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात समिति अपना जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी ।

5. श्री हेमन्त साहू के प्रकरण निराकरण हेतु विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में गठित तीन सदस्यीय समिति की बैठक दिनांक 11.10.2018 द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन के निर्णयानुसार – "चूँकि श्री हेमंत साहू अपने आपत्तियों के संबंध में कोई भी पुख्ता प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं, अतः समिति के द्वारा निर्णय लिया गया कि उनकी आपत्तियों पर पुनर्विचार किया जाना संभव नहीं है।"

6. छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों से प्राप्त पत्रों एवं दस्तावेजों तथा श्री हेमन्त साहू द्वारा अभी तक गठित विश्वविद्यालय स्तरीय समितियों के प्रति असंतुष्ता के आधार पर निष्पक्ष जाँच कराये जाने के लिए विश्वविद्यालय प्राधिकारी के निर्देशानुसार एक उच्च स्तरीय निष्पक्ष जाँच समिति गठित किये जाने हेतु प्रस्तुत।"

अतः माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

4. **दैनिक वेतन भोगियों का श्रम सम्मान राशि रू. 4000/– प्रदाय किये जाने के संबंध में विचार करना।**

टीपः 1. छ.ग. शासन वित विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के आदेश क्र. 533/128/वि./नि./चार/2024 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 28.08.2023 के आदेशानुसार श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दर में दैनिक/मासिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को श्रम सम्मान राशि रू. 4000/– दिये जाने का दिशा निर्देश जारी हुआ था।

2. इस संबंध में इस कार्यालय के आदेश क. 3962/सा.प्रशा./2023 रायपुर, दिनांक 12.09.2023 के द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर, अटल नगर से मार्गदर्शन प्रदान किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। जिसके प्रत्युत्तर में कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय क. 393/118/आउशि/वि.वि.अनु./2022 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30.10.2023 प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उक्त वित्त निर्देश विश्वविद्यालय पर लागू नहीं होता है। (फोटो कापी संलग्न है)

3. माननीय सांसद रायपुर लोकसभा क्षेत्र एवं पूर्व मंत्री छ.ग. शासन का पत्र क. 3761,62/सांसद रायपुर लोकसभा/25 रायपुर, दिनांक 15.05.2025 के द्वारा प्राप्त पत्र का कृपया अवलोकन करना चाहें जिसमें इन्होंने दैनिक वेतन भोगियों को श्रम सम्मान राशि रू. 4000/ दिये जाने के संबंध में समुचित निर्देश से अवगत कराए जाने कहा गया है। अतः उक्तानुसार दैनिक वेतन भोगियों का श्रम सम्मान राशि रू. 4000/– प्रदाय किये जाने के संबंध में माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

5. **सीधी भर्ती हेतु चयन समिति की अनुशंसा संबंधी बंद लिफाफा खोले जाने के संबंध में विचार करना।**

टीप : विश्वविद्यालय में Geology (01-ST(BL), 01-OBC) विषय हेतु Asst. Professor एवं Zoology (01-ST) विषय हेतु Asst. Professor पद पर सीधी भर्ती हेतु चयन समिति की क्रमशः बैठक दिनांक 08.06.2025 एवं 09.06.2025 में चयन समिति द्वारा की गई अनुशंसा संबंधी बंद लिफाफा को खोले जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

6. **डॉ. राजीव चौधरी, प्राध्यापक, शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला को डी.लिट शोध उपाधि प्रदान करने के संबंध में विचार करना।**

टीपः डॉ. राजीव चौधरी द्वारा प्रस्तुत डी. लिट विषय शारीरिक शिक्षा, शोध प्रबंध मूल्यांकन अध्यादेश कमांक 46 की कंडिका 17 में दिए गए प्रावधानानुसार तीन परीक्षकों से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर मौखिक परीक्षा आयोजित की गई थी । अध्यादेश के अनुसार तीन परीक्षकों को मौखिक परीक्षा के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसमें तीनों सदस्य उपस्थित थे। तदनुसार

दिनाँक 02.06.2025 को मौखिकी परीक्षा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) के शारीरिक शिक्षा अध्ययन शाला में Prof- J-P- Bhukar (Haryan), Prof- Anurudh Singh Sisodia (Gwalior), Prof- B-C- Kapri (Varanasi) की उपस्थिति में संपन्न हुई ।

मौखिक परीक्षा प्रतिवेदन में दिये गये संस्तुति अनुसार तीनों परीक्षकों ने इन्हें डी. लिट उपाधि प्रदान करने की संस्तुति प्रदान की है। "After the अध्यादेश कमांक 46 की कंडिका 18 में निम्नानुसार प्रावधान है Viva voce examination the recommendations shall be report to the Executive Council for the award of D- Lit-/D-Sc-/L-L-D- degree to the candidate-"

माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

7. **परिनियम 28 Part-III Governing Body की कंडिका 6(1)(c) के अंतर्गत अशासकीय महाविद्यालयों में शासी निकाय हेतु विश्वविद्यालय की ओर से दो सदस्यों के नाम के अनुमोदन के संबंध में विचार करना। (पृ. क्र.09 से 14. तक)**

<u>टीपः</u> विश्वविद्यालय की अधिसूचना क्रमांक 1864/अका./शासी निकाय/2023 दिनांक 10.05.2023 के अनुसार मनोनित सदस्यों का **कार्यकाल दिनांक 09.05.2025 को समाप्त हो गया है** तथा आगामी दो वर्ष के लिए पुनः सदस्यों का मनोनयन परिनियम 28 Part-III Governing Body की कंडिका – 6(1)(c) के अनुसार किया जाना है।

परिनियम 28 Part-III Governing Body की कंडिका –

6(1)(c) Two representatives of the University other than members of the Foundation Society of the College, nominated by the Executive Council at least one of whom shall be from amongst the teachers of the University as far as possible working in institutions not located in the same town as the College.

उपरोक्तानुसार विश्वविद्यालय की ओर से समस्त संबद्ध अशासकीय महाविद्यालय में दो सदस्यों के नाम की सूची माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। (सूची संलग्न है।)

8. **कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 24.04.2025 पूरक विषय सूची के बिंदु क्रमांक 16 के निर्णयानुसार शासकीय जे. योगानन्दम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर को प्राणी विज्ञान विषय में शोध–केंद्र की मान्यता के संबंध में बिन्दुवार जानकारी के साथ प्रकरण पुनः प्रस्तुत।**

<u>टीपः</u>
1. महाविद्यालय NAAC द्वारा B^+ मान्यता प्राप्त है।
2. प्राणी विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर कक्षा वर्ष 2017 से संचालित है।
3. 04 शोध निर्देशक की मान्यता प्राप्त शिक्षक पदस्थ हैं।
4. समृद्ध पुस्तकालय है। N-List तथा NDLI की सुविधा उपलब्ध है।
5. कम्प्यूटर तथा इंटरनेट की सुविधा छात्रों के लिए उपलब्ध है।
6. महाविद्यालय का MoU कलिंगा विश्वविद्यालय तथा Siddhachalam Laboratory से Research Work के लिए है।
7. Common Instrumentation Research facilities Develop करने के शर्त पर आगामी 03 वर्ष के लिए अस्थाई शोध केन्द्र की मान्यता प्रदान की जा सकती है।
8. महाविद्यालय प्राणी विज्ञान विषय में Revised Regulation 107 की कंडिका 3 b की अर्हता पूर्ण नहीं करता है। अर्थात् प्राणी विज्ञान विषय में स्थायी सम्बद्धता नहीं है।

माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

कम्प्यूटर विज्ञान अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :–

9. **कम्प्यूटर विज्ञान अध्ययनशाला पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में "AI-DFE: Fintech For All" Project में Mobile Application Development का कार्य हेतु 01 Project Scientist-III/Project Engineer, 03 Project Associate -I, 01 Project Assistant, 01 Scientific Administrative Assistant का कुल मानदेय Rs. 11,03,300.00 (रुपए ग्यारह लाख तीन हजार तीन सौ मात्र) के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना।**

टीप: PROJECT SACTION LETTER क्रमांक IBITF/NOTE/TSP/SANCTON LETTER / 2023–24 0257 DATE 15–11–2023 के अनुसार कम्प्यूटर विज्ञान अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में "AI-DFE: Fintech For ALL" Project में Mobile Application Development का कार्य किया जा रहा है। इस Project के लिए साक्षात्कार के माध्यम से 01 Project Scientist-III/Project Engineer, 03 Project Associate & 01 Project Assistant, 02 Scientific Administrative Assistant का चयन किया गया। प्रोजेक्ट की अवधि 12 माह की थी, जो कि 14 नवम्बर 2024 को समाप्त हो गई थी। प्रोजेक्ट विस्तार का आदेश न मिलने के कारण प्रोजेक्ट कर्मचारियों का 05 का भुगतान रोक दिया गया था। IBITF, IIT Bhilai से दिनांक 28.04.2025 को प्रोजेक्ट विस्तार का आदेश प्राप्त हुआ, जिसके अनुसार प्रोजेक्ट की अवधि 30.06.2025 तक बढ़ा दी गई है। कर्मचारियों का 05 माह (Nov. 2024 to Mar. 2025) का देयक बनाकर मानदेय **Rs. 11,03,300.00 (रुपए ग्यारह लाख तीन हजार तीन सौ मात्र)** भुगतान हेतु कार्यपरिषद में अनुमोदनार्थ एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत है।

10. **अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।**

10/6/25

कुलसचिव

प. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : 1063/अका./वि.प.स्थायी समिति/2025 रायपुर, दिनांक 05/06/2025

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक गुरुवार, दिनांक 05.06.2025 को मध्याह्न 12:00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन स्थित कुलपति सचिवालय के सभा–कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए –

1. प्रो. सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति – अध्यक्ष
2. डॉ. (श्रीमती) माया वर्मा – सदस्य
3. डॉ. निनाद बोधनकर – सदस्य
4. डॉ. अशोक कुमार प्रधान – सदस्य
5. डॉ. (श्रीमती) प्रभावती शुक्ला – सदस्य
6. डॉ.(श्रीमती) रीता वेणुगोपाल – सदस्य
7. डॉ. संजय कुमार – सदस्य
8. डॉ. जी.के. देशमुख – सदस्य
9. डॉ. शांतनु पॉल – सदस्य
10. डॉ. रिया तिवारी – सदस्य
11. प्रो. अम्बर व्यास, कुलसचिव – सचिव

कार्यवृत्त

01. विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 21.04.2025 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णयः सम्पुष्टि की गई।

02. विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 21.04.2025 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः कार्यवृत्त के बिंदु क्रमांक 7, 12, 13, 14, 15 व 16 का पालन प्रतिवेदन पुनः आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ शेष बिन्दुओं की सूचना ग्रहण की गई।

03. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र–संख्या एवं सत्रानुसार **अस्थायी** संबद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
i	श्री बीरेन्द्र दीपक शिक्षा महाविद्यालय, जामगांव, जिला–गरियाबंद	B.A.-III Year- (F.C., Sociology, Political Sc., Psychology)	60	2025–26
	निर्णयः **शासी निकाय के अध्यक्ष/सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि 12.09.2026 को अंकित करते हुए पत्र प्रेषित किये जाने तथा निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त के साथ अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।**			

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
ii	बी.आई.टी. कॉलेज आफ कॉमर्स साइंस, मैनेजमेंट एण्ड आर्टस, अभनपुर, केंद्री, जिला–रायपुर	B.A.-III Year- (F.C., Sociology, Political Hindi Litt.)	60	2025–26
		B.Com.-III Year		
	निर्णयः **निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त के साथ अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।**			

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
iii.	सौ. कुसुम ताई दाबके विधि महाविद्यालय, मौदहापारा, रायपुर	LL.B.- Ist Year	320	2025–26
		LL.B.- IInd Year	320	2026–27
		LL.B.- IIIrd Year	320	2027–28
	निर्णयः निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक करने तथा इस प्रतिबंध के साथ अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई है कि नियमानुसार बार कौंसिल ऑफ इंडिया से अनुमति पत्र/आदेश पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही कक्षाएँ संचालित की जाएगी एवं तत्संबंधी अनुमति विश्वविद्यालय से प्राप्त की जाए।			

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
iv	सेंट विसेंट पैलोटी कॉलेज, रायपुर	M.A.- I/II Sem. Psychology	20	2025–26
		M.A.- I/II Sem. Economics	20	
		M.Sc.- I/II Sem. Computer Sc.	20	
		B.A.- I Year (F.C., Sociology, Philosophy, Psychology, History, Political Sc., , Hindi Litt., English Litt.)		
	निर्णयः निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त के साथ अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।			

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
v	परम आदर्श स्वामी विवेकानंद महावि. कलेक्टर रोड, बलौदाबाजार	B.A.-II- FC- (Hindi & English), Sociology, Economics, Political Sc., Hindi Lit.	60	2025–26
		B.Com.-II	60	
		B.Sc.Bio.- II Year- Botany, Zoology, Chemistry	60	
	निर्णयः निरीक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित अनुशंसा की गई – (1) इण्डोमेंट फण्ड की शेष राशि जमा करने एवं निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने हेतु महाविद्यालय को समय–सीमा का उल्लेख करते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए पत्र प्रेषित करने की अनुशंसा की गई। (2) उपरोक्त शर्तों के साथ अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।			

स्थायी सम्बद्धता

04. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र–संख्या एवं सत्रानुसार **स्थायी** संबद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
i	शास. राजीव लोचन स्नातकोत्तर महा. राजिम, जिला–गरियाबंद	M.A.- Political Sc.	30	2025–26
		M.A.- Hindi	25	
	निर्णयः स्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।			

05. ATKT उत्तीर्ण (सभी पाठ्यक्रमों के लिए) छात्रों के उपाधि में ATKT Seal (मोहर) का उपयोग नहीं किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः छात्रों के उपाधि में ATKT Seal (मोहर) का उपयोग नहीं किये जाने की अनुशंसा की गई।

06. श्री गोबिंदराम शदाणी शासकीय कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय, देवेन्द्र नगर, रायपुर के नाम संशोधन के संबंध में विचार करना।

निर्णयः आयुक्त उच्च शिक्षा, ब्लॉक सी–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्र. 232/517/आउशि/सम./2024 दिनांक 28.03.2024 के द्वारा महाविद्यालय के नाम में निम्नानुसार संशोधन किए जाने की अनुशंसा की गई –

वर्तमान नाम	संशोधन पश्चात् परिवर्तित नाम
श्री गोबिंदराम शदाणी शासकीय कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय, देवेन्द्र नगर, रायपुर	**संत गोबिंदराम शदाणी शासकीय कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय, देवेन्द्र नगर, रायपुर**

07. शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला में प्रारंभ होने वाले एम.ए. योग 30 सीट के लिए ट्यूशन फीस 15,000/– (रुपए पंद्रह हजार मात्र) प्रति सेमेस्टर के स्थान पर प्रतिवर्ष किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला में 2025–26 से प्रारंभ होने वाले एम.ए. योग 30 सीट के लिए ट्यूशन फीस सहित समस्त अनिवार्य शुल्क को सम्मिलित करते हुए रुपए 15,000/– (रुपए पंद्रह हजार मात्र) प्रतिवर्ष किये जाने की अनुशंसा की गई।

08. शांत्रीबाई कला, वाणिज्य, विज्ञान महाविद्यालय, महासमुंद में संचालित B.C.A. की कक्षा को असम्बद्ध करने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः शांत्रीबाई कला, वाणिज्य, विज्ञान महाविद्यालय, महासमुंद में संचालित B.C.A. की कक्षा को परिनियम 27 के कंडिका (9) के अंतर्गत असम्बद्ध किए जाने की अनुशंसा की गई।

09. परिनियम 27 में आवश्यक संशोधन किए जाने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 14.05.2025 के कार्यवृत्त की अनुशंसा के संबंध में विचार करना।

निर्णयः (1) विश्वविद्यालय परिनियम 27 में आवश्यक संशोधन किए जाने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 14.05.2025 के अनुक्रम में परिनियम 27 की कंडिका 4(3) एवं 8(3)(i) में किए गए संशोधन को निम्नानुसार अनुशंसा किया गया –

वि.वि. परिनियम क्रमांक		वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन	औचित्य
27	4(3)	The application shall be made to the Registrar on or before the 31st December, of the year preceding the academic year from which the extension is sought and shall be accompanied by a fee of Rs. 8000/- which shall not be refunded.	The application shall be made to the Registrar on or before the 31st December, of the year preceding the academic year from which the extension is sought and shall be accompanied by a fee of Govt. Colleges* Rs. 800/- and Non-Government Colleges Rs. 8000/- and **Government GST rule/rate implemented time to time will applicable,** which shall not be refunded.	कार्यालय सहायक आयुक्त राज्य कर, वृत्त–एक, रायपुर पत्र क्र. /स.अ./राक/रा–एक/प्रवर्तन–अन्य/2/2024–25/2873 दिनांक 21.10.2024 द्वारा महाविद्यालयों पर अधिरोपित जी.एस.टी.

	8(3)(1)	Every College or institution admitted to the privileges of the University shall pay to the University each year by the 31st July an annual affiliation fee at the rates mentioned below:-	Every College or institution admitted to the privileges of the University shall pay to the University each year by the 31st July an annual affiliation fee at the rates and **Government GST rule/rate implemented time to time will applicable is** mentioned below:-	शुल्क लागू किए जाने के कारण परिनियम में संशोधन आवश्यक है।

(2) समिति के अन्य अभिमत पर विश्वविद्यालय द्वारा शासकीय महाविद्यालयों से लिए जाने वाले सम्बद्धता शुल्क में वृद्धि हेतु उच्च शिक्षा विभाग से वार्ता किये जाने की अनुशंसा की गई।

10. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 210 के अनुक्रम में निर्मित विनियम 221 Four Year Undergraduate Programme (FYUP) (With Choice Based Credit System and Multiple Entry and Exit Options as per NEP 2020) (Under Ordinance No. 210) में उल्लेखित प्रावधानों में संशोधन हेतु गठित समिति की अनुशंसा एवं Challenge Evaluation fee के संबंध में विचार करना।

निर्णयः (1) **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 210 के अनुक्रम में विनियम 221 Four Year Undergraduate Programme (FYUP) (With Choice Based Credit System and Multiple Entry and Exit Options as per NEP 2020) (Under Ordinance No. 210) में उल्लेखित प्रावधानों में संशोधन हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 29.05.2025 के अनुक्रम में निम्नानुसार अनुशंसा की गई –**

Regulation No.		Current provisions	Proposed Provisions	Reason
221	10.11	Completion of Continuous Internal Assessment (CIA) is compulsory for appearing in End Semester Examination (ESE)	Delete	contrary to ordinance 210 Clause 8.5 hence to be deleted
	12.10	Not exist	Students who appear for any examination for the first time shall be called "Regular" and students who appear to clear backlog paper shall be called "ATKT'	to define status of student
	12.11	Not exist	There shall be one grace mark for student who need one mark to pass the examination	Ordinance 210 Clause 8.7 there shall be provision of grace markto enable the candidate to pass the examination as notify by the University through regulation

	12.12	Not exist	There shall be provision for retotaling as per University rules	Ordinance 210 Clause 13.2 there shall be no provision for revaluation. However retotaling is permissible as per University rule.

(2) **प्रशासनिक स्तर पर विश्वविद्यालय द्वारा Challenge Evaluation fees निर्धारण करने की अनुशंसा की गई।**

11. महाविद्यालय हेतु निर्मित निरीक्षण समिति प्रतिवेदन को संशोधन करने हेतु गठित समिति द्वारा किये गए संशोधन की अनुशंसा करना।

निर्णयः **प्रस्तुत प्रारूप की समीक्षा करने हेतु समिति का पुनर्गठन करने की अनुशंसा की गई। समिति में निम्नांकित सदस्य होंगे –**

(1) प्रो. निनाद बोधनकर, संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय – अध्यक्ष
(2) प्रो. माया वर्मा, संकायाध्यक्ष, कला संकाय – सदस्य
(3) प्रो. एस.जे. डहरवाल, संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद् – सदस्य
(4) डॉ. प्रीति मिश्रा, प्राचार्य, डॉ. राधाबाई शास. नवीन कन्या महा. रायपुर – सदस्य
(5) प्रो. अम्बर व्यास, कुलसचिव – सदस्य सचिव

12. स्पेक्ट्रम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, नरदहा, रायपुर को नवीन संकाय अंतर्गत बी.कॉम.–40 सीट एवं डी.सी.ए.–40 सीट सत्र 2022–23 के स्थान पर संशोधित कर शैक्षणिक सत्र 2025–26 के लिए सम्बद्धता प्रदान किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त के साथ अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।**

13. निम्नलिखित संकायांतर्गत अध्ययन मण्डल की बैठकों के कार्यवृत्त की अनुशंसा करना –

क्रमांक	अध्ययन मण्डल		बैठक की तिथि
[1]	विज्ञान संकाय –		
1	भौतिकी	–	19.05.2025
2	रसायन	–	15.05.2025
3	इलेक्ट्रॉनिक्स	–	19.05.2025
4	गणित	–	23.05.2025
5	सांख्यिकी	–	16.05.2025
6	भू–विज्ञान	–	15.05.2025
7	फोरेंसिक साइंस (तदर्थ)		19.05.2025
8	संयुक्त बैठक (इलेक्ट्रानिक्स एवं भौतिकी)		19.05.2025
[2]	जीव विज्ञान संकाय –		
9	बायोटेक्नोलॉजी	–	21.05.2025
10	जैविकी	–	23.05.2025
11	वनस्पतिशास्त्र	–	23.05.2025
12	प्राणीशास्त्र	–	23.05.2025
13	बायोकेमेस्ट्री	–	23.05.2025
14	माइक्रोबायोलॉजी	–	23.05.2025
15	मानवविज्ञान	–	20.05.2025
16	बी.वॉक. (तदर्थ)		16.05.2025

[3]	**कला संकाय –**		
17	दर्शनशास्त्र	–	20.05.2025
18	ग्रथालय एवं सूचना विज्ञान	–	15.05.2025
19	संस्कृत	–	16.05.2025
20	प्राच्य संस्कृत	–	16.05.2025
21	हिन्दी	–	17.05.2025
22	अंग्रेजी	–	17.05.2025
23	भाषाविज्ञान	–	15.05.2025
[4]	**सामाजिक विज्ञान संकाय –**		
24	राजनीति विज्ञान	–	19.05.2025
25	इतिहास	–	15.05.2025
26	अर्थशास्त्र	–	15.05.2025
27	प्रा.भा.इतिहास	–	15.05.2025
28	समाजशास्त्र	–	16.05.2025
29	मनोविज्ञान	–	16.05.2025
30	भूगोल	–	16.05.2025
31	क्षेत्रीय अध्ययन (तदर्थ)		16.05.2025
32	महिला अध्ययन केंद्र		17.05.2025
[5]	**विधि संकाय –**		
33	विधि	–	19.05.2025
[6]	**शारीरिक शिक्षा संकाय –**		
34	शारीरिक शिक्षा	–	16.05.2025
[7]	**प्रबंध संकाय –**		
35	प्रबंध	–	16.05.2025
[8]	**गृह–विज्ञान संकाय –**		
36	गृहविज्ञान	–	20.05.2025
[9]	**शिक्षा संकाय –**		
37	शिक्षा	–	16.05.2025
[10]	**टेक्नालॉजी संकाय –**		
38	फार्मेसी	–	16.05.2025
[11]	**वाणिज्य संकाय –**		
39	वाणिज्य	–	16.05.2025
[12]	**इंफर्मेशन टेक्नालॉजी संकाय –**		
	संगणक विज्ञान		05.05.2025

निर्णयः अनुशंसा की गई।

14. अध्यादेश क्रमांक 09 The Conditions of the Award of fellowships and Schollarship में संशोधन किये जाने पर विचार करना।

निर्णयः अध्यादेश क्रमांक 09 The Conditions of the Award of fellowships and Schollarship में संशोधन किये जाने हेतु निम्नानुसार समिति गठन किये जाने की अनुशंसा की गई –

(1) प्रो. निनाद बोधनकर, संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय
(2) प्रो. माया वर्मा, संकायाध्यक्ष, कला संकाय
(3) प्रो. संजय कुमार, संकायाध्यक्ष, इंफर्मेशन टेक्नालॉजी संकाय

15. जैविकी अध्ययनशाला में एम.एस–सी. बायोसाइंस पाठ्यक्रम में 04 पेमेंट सीट सत्र 2025–26 से प्रवेश दिये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः एम.एस–सी. बायोसाइंस पाठ्यक्रम में 04 पेमेंट सीट (प्रवेश शुल्क 15,000/– प्रतिवर्ष) सत्र 2025–26 से प्रवेश किए जाने की अनुशंसा की गई।

16. सत्र 2025–26 से नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु सीट एवं शुल्क के संबंध में विचार करना।

S.N.	NAME OF COURSE	Name of the Department where the course is to be conducted	NO. OF SEAT	Fee
1	M.A. in Tribal Studies & indian knoWledge system	Centre for Indian Knowledge System	20	880/- per semester tution fee+ other University fee
2	M.A. in Women and Gender Studies	Centre for Women Studies	20	880/- per semester tution fee+ other University fee
3	M.A in Yoga	SoS in Physical Education	30	Fee will be applicable as per decision taken in above minutes point no. 7.
4	M.Sc. Data Science	Sos in Statistics	15	15000/- per semester tution fee+ other University fee
5	Diploma in Sanskrit	Centre for Indian Knowledge System	20	3190/- per semester tution fee+ other University fee
6	One Year Diploma in Artificial Intelligence	SoS in Computer Science	20	15000/- per semester tution fee+ other University fee
7	B.Com-M.Com (5year Integrated Program)	Institue of Management	30	4000/- per semester tution fee+ 1500/- (One time fee) + other University fee

निर्णयः अनुशंसा की गई।

17. रामकृष्ण ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा संचालित रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, सुंदर नगर, रायपुर में 2025–26 में बी.एड्. नवीन छात्रों को प्रवेश नहीं दिये जाने के संबंध में सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः रामकृष्ण ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा संचालित रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, खसरा नं. –545, सुंदर नगर रायपुर को एन.सी.टी.ई. के आदेश File No. NCTE/2025/WRC/PAR/ORDER/APW05504/723120, दिनांक 14.05.2025 द्वारा सत्र 2025–26 से बी.एड्. में नवीन छात्रों को प्रवेश प्रदान नहीं किये जाने के संबंध में आदेश की सूचना ग्रहण की गई।

<u>अध्यक्ष के अनुमति से अन्य निर्णय</u>

01. विश्वविद्यालय में अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम (Aprenticeship Embedded Degree Programme (AEDP)) प्रारंभ करने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देश पर विचार करना।

निर्णयः विश्वविद्यालय में अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम (Aprenticeship Embedded Degree Programme (AEDP)) प्रारंभ करने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देश पर विचार कर अभिमत प्रेषित किये जाने हेतु निम्नानुसार समिति गठन की अनुशंसा की गई –

(1) प्रो. निनाद बोधनकर, संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय – अध्यक्ष
(2) प्रो. माया वर्मा, संकायाध्यक्ष, कला संकाय – सदस्य
(3) प्रो. कविता ठाकुर, अध्यक्ष, इलेक्ट्रानिक्स एवं फोटोनिक्स अध्ययनशाला – सदस्य
(4) प्रो. जी.के. देशमुख, संकायाध्यक्ष, प्रबंध संकाय – सदस्य
(5) श्री सनत कुमार वर्मा, उप–कुलसचिव – सदस्य सचिव

02. अकसूची एवं टेबुलेशन रिकार्ड (T.R.) से संबंधित नियम बनाने पर विचार करना।

निर्णय: अध्यादेश क्रमांक 8 ENROLMENT OF STUDENTS AND THEIR ADMISSION TO COURSES OF STUDY की व्यवस्था के क्रम में अंकसूची एवं टेबुलेशन रिकार्ड (T.R.) में संशोधन से संबंधित नियमों की व्याख्या हेतु निम्नानुसार समिति गठन की अनुशंसा की गई –

(1) प्रो. प्रभावती शुक्ला, संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय
(2) प्रो. ए.के. प्रधान, संकायाध्यक्ष, जीव–विज्ञान संकाय
(3) प्रो. संजय कुमार, संकायाध्यक्ष, इंफर्मेशन टेक्नालॉजी संकाय
(4) श्री नरेन्द्र वर्मा, उप–कुलसचिव, परीक्षा विभाग
(5) श्री के.एस. कश्यप, सहायक कुलसचिव, गोपनीय विभाग

03. विश्वविद्यालय में स्थापित भारतीय ज्ञान परम्परा केन्द्र हेतु सलाहकार समिति के गठन पर विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय में स्थापित भारतीय ज्ञान परम्परा केन्द्र हेतु सलाहकार समिति में निम्नलिखित सदस्यों की अनुशंसा की गई–

(1)	प्रो. सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर	–	अध्यक्ष
(2)	प्रो. श्रीनिवास वरखेड़ी, कुलपति, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	–	सलाहकार सदस्य
(3)	डॉ. पूर्णेन्दु सक्सेना, वरिष्ठ चिकित्सक एवं संचालक, विशारद चिकित्सालय रायपुर (छ.ग.)	–	सलाहकार सदस्य
(4)	प्रो. गंती सूर्यनारायण मूर्ति, राष्ट्रीय समन्वयक, भारतीय ज्ञान परम्परा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	–	सलाहकार सदस्य
(5)	डॉ. ओमजी उपाध्याय, सदस्य सचिव/निदेशक, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् (ICHR) शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार	–	सलाहकार सदस्य
(6)	डॉ. आर.के. ब्रह्मे, निदेशक, भारतीय ज्ञान परम्परा केन्द्र, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर	–	सदस्य सचिव

आवश्यकतानुसार विद्यापरिषद् की अनुशंसा पर उक्त समिति में तीन अन्य सदस्यों को भविष्य में सम्मिलित किए जाने हेतु कुलपति जी को अधिकृत किये जाने की अनुशंसा की गई।

धन्यवाद ज्ञापन करने के साथ बैठक संपन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक : 1064/अका./वि.प.स्थायी समिति/2025 रायपुर, दिनांक 05/06/2025

प्रतिलिपि :–

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
3. उ.कु.स. परीक्षा/सामान्य प्रशासन/स.कु.स. गोपनीय,
4. संचालक, आई.क्यू.ए.सी.,
5. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु अग्रेषित।

उप–कुलसचिव (अका.)

विश्वविद्यालय परिनियम क्रमांक 28 भाग–III की कंडिका 6(1)(C) के प्रावधानानुसार नीचे उल्लेखित अशासकीय महाविद्यालयों के शासी निकाय में विश्वविद्यालय के दो प्रतिनिधियों का उन्नयन अधिसूचित किया जाना है। प्रतिनिधियों का कार्यकाल आदेश की तिथि से 2 वर्ष के लिये होगा। नाम प्रस्तावित सूची निम्नानुसार है–

क्र.	अशासकीय महाविद्यालय	मनोनित दो सदस्य
	Distt. : RAIPUR	
1	SKTD Law College, Raipur (CG)	1. Dr. Shams Parvez,SoS in Chemistry, Pt.RSU,Raipur 2. Dr. Manmohan Lal Satnami, SoS in Chemistry, Pt.RSU,
2	Durga Mahavidyalaya, Raipur	1. Dr. R.K. Brahme, SoS Economics, Pt.RSU,Raipur 2. Dr. Hemlata Borkar, SoS Sociology,Pt.RSU,Raipur
3	Smt. P.G. Daga Girls College, Raipur	1. Dr. Ashok Pradhan, SoS in Anthropology, Pt.R.S.U. Raipur 2. Dr. Kamlesh Kumar Shukla, SoS Biotechnology, Pt. RSU, Raipur
4	Vivekanand Mahavidyalaya Modha Para, Raipur (CG)	1. Dr. S.K. Jadhav, SoS Biotechnology, Pt. RSU, Raipur 2. Dr. Afaque Quraishi, SoS Biotechnology, Pt. RSU, Raipur
5	St. Vicent Palloti Mahavidyala, Kapa, RAIPUR	1. Dr. DP Bisen, Prof of Physics, PT.RSU, Raipur 2. Dr. Vinod Kumar Patle, Computer Science, Pt. RSU, Raipur
6	Adarsh Kala and Vanijya Mahadyalaya, Raipur (CG)	1. Dr. Swarnlata Saraf, SoS Pharmacy, Pt.RSU,Raipur 2. Dr. G.K. Deshmukh, SoS Management, Pt. RSU, Raipur
7	Pt. Harishankar Shukla Smriti Mahavidyalaya, Shankar Nagar, Raipur (CG)	1. Dr. Maya Verma, SoS Lib.Sc Pt. RSU, Raipur 2. Dr. Afaque Quraishi, SoS Biotechnology, Pt. RSU, Raipur
8	Vipra Kala, Vanijya avam Shariririk Mahavidyala, GE Road, Amapara , Raipur (CG)	1. Dr. S.K. Jadhav, SoS Biotechnology, Pt. RSU, Raipur 2. Dr. Deependra Singh, SoS Pharmacy, Pt. RSU, Raipur
9	Om Shri Sai Nath Mahavidyalaya Parastarai (Dharsiwa) Raipur	1. Dr. Uma Gole, SoS Geography, Pt. RSU, Raipur 2. Dr. K.K. Sahu, SoS in Bioscience, Pt. RSU, Raipur
10	Mahant Laxminarayan Dasa Mahavidyalaya, Raipur (CG)	1. Dr. N. Bodhankar, SoS Geology, Pt. RSU, Raipur 2. Dr. S.R. Kashyap, SoS Library & Info. Sc. Pt. RSU, Raipur
11	Pragati Mahavidyalaya, Central Avenue, Choubey, Colony, Raipur (CG)	1. Dr. B.S. Thakur, SoS in Mathematics, Pt. RSU, Raipur (CG) 2. Dr. Madhulata Bara, SoS Hindi, Pt, RSU, Raipur
12	Central College of Information Technology, Fafadih, Raipur(CG)	1. Dr. K.R. Hari, SoS Geology, Pt. RSU, Raipur (CG) 2. Dr. Sunil Kumar Kumeti, SoS Economics, Pt.RSU,
13	Gurukul Mahila Mahavidyalaya, Kalibari, Raipur (CG)	1. Dr. Preeti K. Suresh, SoS Pharmacy, Pt. RSU, Raipur 2. Dr. L.S. Gajpal, SoS Sociology, Pt. RSU, Raipur
14	Shanti- Niketan Mahavidyalaya, Changora Bhata, Raipur (CG)	1. Dr. M.K. Deb, Sos Chemistry, Pt. RSU, Raipur 2. Shri J.L. Gahare,SoS in Philosophy, Pt. RSU,Raipur
15	Agrasen Mahavidyalaya, Purani Basti, Raipur (CG)	1. Dr. Smt Priyamvada Shrivastava, SoS Psychology, Pt. RSU, Raipur (CG) 2. Dr. Santu Ram Kashyap, Library & Information Sc., Pt. RSU, Raipur (CG)

 6/6/15

16	Pt. Ramsakha Upadhyay Mahavidyalaya, Ekta Nagar, Gudiyari, Raipur (CG)	1. Dr. Namita Brahme, SoS Physics, Pt. RSU, Raipur 2. Dr. B.S. Thakur, SoS in Mathematics, Pt. RSU, Raipur (CG)
17	Gracious College of education, Bel bhata, Abhanpur, Raipur (CG)	1. Dr. Preeti K. Suresh, SoS Pharmacy, Pt. RSU, Raipur 2. Dr. K.K. Shrivas, SoS Chemistry, Pt. RSU, Raipur
18	Santwana Manopchar avam Anusandhan Sansthan, PG Institute of Behaviourial & Medical Sciences, Raipur (CG)	1. Dr. Sanjay Kumar SoS Computer, Pt. RSU, Raipur 2. Dr. Kamlesh Kumar Shukla, SOS Biotechnology, Pt. RSU, Raipur
19	Mahatma Gandhi Mahavidyalaya, Station Road, Raipur (CG)	1. Dr C.D. Agashe, SoS Physical Edn , Pt.RSU,Raipur 2. Dr. M.L. Satnami SoS Chemistry, Pt. RSU, Raipur
20	Vikas Shiksha Mahavidyalaya, C-191, Deopuri, Phundher Marg, Raipur (CG)	1. Dr. Maya Verma, SoS Lib.Sc Pt. RSU, Raipur 2. Dr. Vinod Kumar Patle, SoS Computer Science, Pt. RSU, Raipur
21	Maharaja Agrsen International College, Shri Ramnath-Bhimsen Marg, Samtacolony, Raipur (CG)	1. Dr. Rajeev Chaudhari, SoS Physical Edu. Pt. RSU, Raipur 2. Dr. Manju Singh, SoS Pharmacy, Pt. RSU, Raipur
22	Vivekanand shiksh Sansthan, Ramkrishna Paramhans, Nagar, Kota, Raipur (CG)	1. Dr. Ashok Pradhan, Sos in Anthropology, Pt.R.S.U. Raipur 2. Dr. Anubha Singh Gaor, SoS Physics, Pt.RSU,Raipur
23	Disha College, Ramnagar, Kota Road, Raipur (CG)	1. Dr. Reeta Venugopal, SoS Phy. Education, Pt.RSU, Raipur (CG) 2. Dr. Sunil Kumar Kumeti, SoS Economics, Pt.RSU,
24	Disha College of Management, Vidhansabha, Chandkhuri Marg, Raipur	1. Dr. Manju Singh, SoS Pharmacy, Pt. RSU, Raipur 2. Dr. (Smt.) Radha Pandey, Govt. D.S.V.Sanskrit College, Raipur
25	KD Rungata College of Science & Technology, Veersavarkar Nagar, Atari, Raipur	1. Dr. Amia Ekka, SoS Bioscince, Pt. RSU, Raipur 2. Dr. Nagendra Kumar Chandravanshi,Biotechnology Pt. RSU, Raipur (CG)
26	Kruti School of Business Management, Chandkhuri Farm, Raipur (CG)	1. Dr. Hemlata Borkar, SoS Sociology, Pt.RSU, Raipur 2. Dr. Rajeev Tiwari, Govt. DSV Sanskrit College, Raipur
27	Abbhudaya College, Chandkhuri Farm, Raipur (CG)	1. Dr. Anubha Singh Gaor, SoS Physics, Pt. RSU, Raipur 2. Shri Jage Lal Gahare, SoS Philosophy, Pt. RSU,Raipur
28	Seth Phool chand Agarwal smriti Mahavidyalaya, Nawapara (Rajim) Raipur (CG)	1. Dr. B.S. Thakur, SoS in Mathematics, Pt. RSU, Raipur (CG) 2. Dr. Arti Parganiya, SoS Bioscience, Pt. RSU, Raipur
29	Shiksha Snatak Mahavidyalaya Mandhar, Raipur (CG)	1. Dr. Arti Parganiya, SoS in Bioscience, Pt. RSU,Raipur 2. Dr. Vijay Laxmi Diwan, Govt. College, Kohaka (Neora) Distt.- Raipur
30	Vivekanand Mahavidyalaya, Bhansoj Via- Mandir Hasod, Raipur	1. Dr. Nistar Kujur, SoS Sociology, Pt. RSU, Raipur 2. Dr. Manju Jha, Dr. Radhabai Govt. Girls College, Raipur
31	Netaji, Subhash Mahavidyalya Belbhata, Abhanpur, Raipur (CG)	1. Dr. Reeta Venugopal, SoS Phy. Education, Pt.RSU, Raipur (CG) 2. Dr. Abhilasha Saini, Late Ramnath Verma Govt. College, Mopka-Nipaniya
32	Century Cement, Mahavidyalaya, Baikunth (Tilda) Raipur (CG)	1. Dr. B.S. Thakur, SoS in Mathematics, Pt. RSU, Raipur (CG) 2. Dr. N. K. Chandravanshi, Biotechnology, Pt. RSU,

33	RKS Mahavidyalay, Tilda-Neora, Raipur (CG)	1. Dr. Rajeev Chaudhari, SoS Physical Edu. Pt. RSU, Raipur 2. Dr. J.N. Kesharwani, Govt. College Lawan Distt.- Balodabazar (C.G.)
34	Shri Rawatpura Sarkar Institute of Professional Studies, Pacheda, Abhanpur, Raipur (C.G.)	1. Dr. K. K. Shrivas, SoS in Chemistry, Pt. RSU, Raipur (C.G.) 2. Dr. Usha Kiran Agrawal, Govt. NPG College, Raipur
35	Shristi College of Management of IT & Management, Jaistambh Chowk Raipur (CG)	1. Dr. Uma Gole, SoS Geography, Pt. RSU, Raipur 2. Dr. Rajeev Tiwari, Govt. DSV Sanskrit College, Raipur
36	C.I.T., B.Ed.College, Bhelwadeah, Uparwara, Raipur (CG)	1. Dr. Jitendra Kumar Premi, SoS Anthropology, Pt RSU, Raipur (CG) 2. Dr. Madhulata Bara, SoS Hindi, Pt, RSU, Raipur
37	Central College of Education, plot No. 1131/3 Ring Road No.3, Tulsi, Raipur (CG)	1. Dr. S.K. Prasad, SoS Bioscience, Pt. RSU, Raipur 2. Shri Jage Lal Gahare, SoS Philosophy, Pt. RSU, Raipur
38	Spectrum College of Education Nardaha, Raipur (CG)	1. Dr. Vinod K.Patle, SoS Computer Science, Pt. RSU, 2. Dr. Renu Maheshwari, Govt. NPG College, Raipur
39	Shambhavi School of Edn. Plot No.334/1-334/2, Dewarbhata, Dhusera Raipur	1. Dr. Preeti K. Suresh, SoS Pharmacy, Pt. RSU, Raipur 2. Dr. Vijay Laxmi Diwan, Govt. College, Kohaka (Neora) Distt.- Raipur
40	RITEE College of management Chhatauna, Mandir,HaSaud Raipur (CG)	1. Dr. Jitendra Kumar Premi, SoS Anthropology, Pt RSU, Raipur (CG) 2. Dr. Anubha Singh Gaor, SoS Physics,Pt. RSU,Raipur
41	RITEE College of Education plot No.483/1 infront of Pt.RSU gymnasium, Dumar Talab,Kanger Valley academy Raipur (CG)	1. Dr. DP Bisen, Prof of Physics, PT.RSU, Raipur 2. Dr. Dr. Sanskriti Joseph, SoS Management Pt. RSU, Raipur
42	RITEE College of Managment Dumar Talab, Raipur	1. Dr. Shams Parveg, SoS Chemistry, Pt. RSU, Raipur 2. Dr. Jaya Tiwari, Govt. D.B. Girls College, Raipur
43	Columbia College, Plot No. 97.Tekari, Raipur	1. Dr. Arti Parganiya, SoS in Bioscience, Pt. RSU, Raipur 2. Dr. Amitabh Banerji, Principal, Govt. N.PG Science College, Raipur
44	Ramkrishna Institute of Education, 94, Sunder Nagar, Raipur	1. Dr. S.K. Jadhav, SoS Biotechnology, Pt. RSU, Raipur 2. Dr. Narendra Kumar Jain, Govt. College, Palari Distt.- Baloda Bazar
45	Shri Ram College Village & Post- Saragaon Distt.- Raipur	1. Dr. K.K. Shrivas, SoS Chemistry, Pt. RSU, Raipur 2. Dr. Abhilasha Saini, Late Ramnath Verma Govt. College, Mopka-Nipaniya
46	Kopalvani Shrawan Badhit college, Pt. Sunder Lal Sharma School Campus,Sunder nagar,Raipur	1. Dr. Rajeev Chaudhari, SoS Physical Edu. Pt. RSU, Raipur 2. Dr.(Smt.) Vipala Kohli, Govt. N.PG College,Raipur
47	Shri Rawatpura Sarkar College of Education, Plot No.-581/2, Vill.- Pacheda, Po.-Kurru, Teh.- Abhanpur, Distt.- Raipur	1. Dr. Sanjay Kumar Daharwal, SoS Pharmacy, Pt. RSU, Raipur 2. Dr. Manmohan Lal Satnami, SoS in Chemistry, Pt.RSU, Raipur
48	Shri Rawatpura Sarkar Institute of Physical Education, Plot No.- 629,1156,1667,1562, 1561, 1668 Vill./Post- Pacheda, Teh.- Abhanpur Distt.- Raipur	1. Dr. (Smt) Kavita Thakur, SoS Electronics, Pt. RSU, Raipur (CG) 2. Dr. Nagendra Kumar Chandravanshi,Biotechnology Pt. RSU, Raipur (CG)

49	Ravi Shankar Global Edu., Plot No.- 131/9-10-1, Vill.-Dhaneli, PO- Mana Teh- Dharsiwa, Distt.- Raipur	1. Dr. S.K. Prasad, SoS Bioscience, Pt. RSU, Raipur 2. Dr. Vishal Jain, SoS Pharmacy, Pt. RSU, Raipur
50	Shri Rawatpura Sarkar College of Education, Plot. No.- 129, Vill.- Dhaneli, Post- Mana Camp Raipur	1. Dr. Jitendra Kumar Premi, SoS Anthropology, Pt RSU, Raipur (CG) 2. Dr. Usha Kiran Agrawal, Govt. NPG College, Raipur
51	Kruti Institute of Teacher Education, Vill.+ Post- Nardaha, Raipur	1. Dr. Swarnlata Saraf, SoS Pharmacy, Pt.RSU, Raipur 2. Dr. Madhulika Agrawal, Govt. College, Birgoan, Raipur
52	Aadarsh College, Datrenga, Raipur	1. Dr. N. Bodhankar, SoS in Geology, Pt. RSU,Raipur 2. Dr. Santu Ram Kashyap, Library & Information Sc., Pt. RSU, Raipur (CG)
53	C.I.T. Science & Commerce College, Vill.-Bhelwadih, Abhanpur, Distt.-.-Raipur(C.G.)	1. Dr. A.K. Shrivastava, SoS Management, Pt.RSU Raipur 2. Dr. Vijay Laxmi Diwan, Govt. College, Kohaka (Neora) Distt.- Raipur
54	Akanksha Lion School for Mently Handicap, Raipur	1. Dr. Maya Shedpure, Govt. DB Girls College, Raipur 2. Dr. Deepti Jha (Thakur), Dr. Radhabai Naveen Girls Collage, Raipur
55	Disha Law College, Balodabazar Marg, Mandir Hasoud, Raipur	1. Dr. L.S. Gajpal, SoS Sociology, Pt. RSU, Raipur 2. Dr.(Smt.) Vipala Kohli, Govt. N.PG College,Raipur
56	Swami Ajay Gurudev Institute of Science and Technology I.T.B.P. road vill- Mudpar Post- Kharora Teh.- Tilda Distt.- Raipur	1. Dr. C.D. Agashe, SoS in Physical Education, Pt. RSU, Raipur 2. Dr. Keshav Kant Sahu, SoS Biotechnology, Pt. RSU
57	Shri Shankrachary Institute of Professional Studies, P.O.- Sejbahar, Distt.- Raipur	1. Dr. Sanjay Kumar Daharwal, SoS Pharmacy, Pt. RSU, Raipur 2. Dr. Renu Maheshwari, Govt. NPG College, Raipur
58	Columbia College of Science and Commerce, Village- Bhurkoni- Tekari, Near Vidhansabha Distt.- Raipur (C.G.)- 493111	1. Dr. Shams Parveg, SoS Chemistry, Pt. RSU, Raipur 2. Dr. K.R. Hari, SoS Geology, Pt. RSU, Raipur (CG)
59	Sai Sadan Education School, Kharra No.- 153/1, Plot No.- 25/13, Village- Bendri, Abhanpur Dist.- Raipur (C.G.) 492001	1. Dr. Jitendra Kumar Premi, SoS Anthropology, Pt RSU, Raipur (CG) 2. Dr. Prabha Verulkar, Govt. BCS PG College, Distt.- Dhamtari
60	Sajag Mahavidyalaya, Saragon Distt.- Raipur (C.G.)	1. Dr. B.L. Sonekar, SoS Economics, Pt. RSU, Raipur 2. Dr.A.K. Shrivastava, SoS Management, Pt.RSURaipur
61	B.I.T. College of Commence, Science, Management and Arts, Abhanpur Road, Kendri, Raipur	1. Dr. (Smt) Priyamvada Shrivastava, SoS in Psychology, Pt. RSU, Raipur 2. Dr. Deependra Singh, SoS Pharmacy, Pt. RSU, Raipur
62	Vivekanand Institute for Accilance (College Division), Ramkrishna Paramhans Nagar, Kota, Raipur Distt. -Raipur(C.G.)	1. Dr. R.K. Bramhe, SoS in Economics, Pt. RSU,Raipur 2. Dr. Dr. Sanskriti Joseph, SoS Management Pt. RSU, Raipur
63	Piyali Foundation College of Special Education, 1/10[Rajeev Nagar, P.O. Shankar Nagar, Raipur	1. Dr. Swarnlata Saraf, SoS Pharmacy, Pt.RSU, Raipur 2. Dr. Arti Parganiya, SoS in Bioscience, Pt. RSU, Raipur
64	Jain Mahavidhyalay Deopuri- Fundhar Road, Raipur	1. Dr. Reeta Venugopal, SoS Phy. Education, Pt.RSU, Raipur (CG) 2. Dr.(Smt.) Vipala Kohli, Govt. N.PG College,Raipur

6/6/15

	Distt.: BALODABAZAR-BHATAPARA	
65	KamlaKant Shukla Institute, 2661/24, Deori, Bhatapara, Baloda-bazar Bhatapara (CG)	1. Dr. Namita Brahme, So inS Physics,Pt. RSU,Raipur 2. Dr. Manju Jha, Dr. Radhabai Govt. Girls College, Raipur
66	Dulicand Jalan College of Quality Education, Tilaipali, Sarsiwa, Distt.- Balodabazar-Bhatapara	1. Dr C.D. Agashe, SoS Physical Education, Pt. RSU Raipur (CG) 2. Dr. Sanjay Kumar Daharwal, SoS Pharmacy, Pt. RSU, Raipur
67	Shri Mahant Laldas Kala-Vigyan Avam Shiksha Mahavidyalay, Tudranagar Dist.- Balodabazar-Bhatapara (C.G.)	1. Dr. DP Bisen, SoS Physics, PT.RSU, Raipur 2. Dr. Madhulika Agrawal, Govt. College, Birgoan, Raipur
68	Param Adarsh Swami Vivekanand College, Baloda Bazar	1. Dr. A.K. Shrivastava, SoS Management, Pt.RSU Raipur 2. Dr. Abhya R. Joglekar, Govt. College, Arang, Raipur
	Distt.: GARIYABAND	
69	Institute of Technology and sciences, Deobhog Road, Gariyaband, Distt.- Gariyaband	1. Dr. Anubha Singh Gaor, SoS Physics, Pt. RSU, Raipur 2. Dr. Madhu Shrivastava, Govt. DB Girls College, Raipur
70	Kachna-Dhurwa mahavidyalaya, Chhura (Rajim) Dist.-Gariyaband	1. Dr. M.K. Deb, Sos Chemistry, Pt. RSU, Raipur 2. Dr. V.M. Jurry, B.C.S. P.G. College Dhamtari (CG)
71	Shri Parry Ganga Mahavidyalaya, Mainpur Distt.- Gariyaband	1. Dr. B.L. Sonekar, SoS Economics, Pt. RSU, Raipur 2. Dr. G.K. Deshmukh, SoS Management, Pt. RSU, Raipur
72	Udanti Mahavidyalaya, Deobhog Distt.- Gariyaband	1. Dr. Manish Kumar Rai, SoS Chemistry, Pt. RSU,Raipur 2.
73	Aryabhatt.Kala avam Vigyan Mahavidyalaya, Kopra Distt. Gariyaband	1. Dr. Madhulata Bara, SoS Hindi, Pt, RSU, Raipur 2. Dr. Sunil Kumar Kumeti, SoS Economics, Pt.RSU, Raipur
74	Gurukul Institute Deobhog Road, Gariyaband Distt.- Gariyaband	1. Dr. Sanjay Kumar SoS in Computer, Pt.RSU,Raipur 2. Dr. Manmohan Lal Satnami, SoS in Chemistry, Pt.RSU, Raipur
75	Shri Birendra Deepak shiksha Mahavidyalaya, Plot No. 724/1 St. No-1 Jamgaon Distt.-Gariyaband	1. Dr. Maya Verma, SoS in Lib.Sc Pt. RSU, Raipur 2. Dr. Deependra Singh, SoS Pharmacy, Pt. RSU, Raipur
	Distt.: DHAMTARI	
76	Chhattisgarh Mahtari, Mahavidyalaya, Bhakhara Distt.-Dhamtari	1. Dr. B.L. Sonekar, SoS Economics, Pt. RSU, Raipur 2. Dr. (Smt.) Mandeep Khalsa, Govt. BCS PG College, Dhamtari
77	Comptek Mahavidyalaya Sorid Nagar, Dhamtari Distt.-Dhamtari	1. Dr. Amia Ekka, SoS Bioscince, Pt. RSU, Raipur 2. Dr. Deepti Jha (Thkaur), Dr. Radhabai Naveen Girls Collage, Raipur
78	Gurukul Mahavidyalaya, Magarload Distt.- Dhamtari	1. Dr. K.R. Hari, SoS Geology, Pt. RSU, Raipur (CG) 2. Dr. Smt Kavita Thakur, SoS Electronics, Pt. RSU, Raipur (CG)
79	Kala Mahavidyalaya, G-Jamgaon Distt.- Dhamtari	1. Dr. Swarnlata Saraf, SoS Pharmacy, Pt.RSU, Raipur 2. Dr. Narendra Kumar Jain, Govt. College, Palari Distt.- Baloda Bazar

6/6/15

80	Jenesis College of Higher Edn. Sihawa Road, Dhamatari Distt.-Dhamtari	1. Dr. Ashok Pradhan, Sos in Anthropology, Pt.R.S.U. Raipur 2. Dr. Prabha Verulkar, Govt. BCS PG College, Dist.-Dhamtari
81	Vande-matram, Mahavidyalaya. Purana Nutan School, Ganesh Chowk, Dhamtari Distt.Dhamtari	1. Dr. Namita Brahme, So inS Physics,Pt. RSU,Raipur 2. Dr. Kishor Kumar Tiwari, Shahid Rajeev Pandey Govt. College, Bhatagaon, Raipur
82	Alshums, Infotech College, Nagri-Sihawa, Distt. Dhamtari	1. Dr. Amia Ekka, SoS in Bioscience, Pt. RSU, Raipur 2. Dr. N.K. Chakradhari, SoS Physics, Pt. RSU,Raipur
	Distt.: MAHASAMUND	
83	Shantri Bai Kala avam Vanijya Mahavidyalaya, Mahasamund	1. Dr. Nistar Kujur, SoS Sociology, Pt. RSU, Raipur 2. Dr. Madhu Shrivastava, Govt. DB Girls College, Raipur
84	Ramchandi Mahavidyalaya Bagaijoar, Saraipali Distt.-Mahasamund	1. Dr. B.S. Thakur, SoS in Mathematics, Pt. RSU, Raipur 2. Dr. G.K. Deshmukh, SoS Management, Pt. RSU, Raipur
85	Jai Hind Mahavidyalaya, Mahasamund Distt. Mahasamund	1. Dr. L.S. Gajpal, Sos Sociology, Pt. RSU, Raipur 2. Dr. Jaya Tiwari, Govt. D.B. Girls College, Raipur
86	Indian College of Education station Road, Mahasamund	1. Dr. Afaque Quraishi, SoS Biotechnology, Pt. RSU, Raipur 2. Dr. Renu Maheshwari, Govt. NPG College, Raipur
87	Pratibha College of Education Gram-Balsi, Saraipali Distt. Mahasamund	1. Dr. R.K. Brahme, SoS Economics, Pt.RSU, Raipur 2. Dr. Abhya R. Joglekar, Govt. College, Arang, Raipur
88	Shyam Balaji College, Plot No.-616/89, Gaon & Post-Mahasamund	1. Dr. Maya Verma, SoS Lib.Sc Pt. RSU, Raipur 2. Dr. Manish Kumar Rai, SoS Chemistry, Pt.RSU, Raipur
89	Maharshi Dayanand Sanskrit Mahavidyalaya, vill- Kosrangi Post- Pacheda, Mahasamund Distt.- Mahasamund	1. Dr. M.K. Deb, Sos Chemistry, Pt. RSU, Raipur 2. Dr. Madhulika Agrawal, Govt. College, Birgoan, Raipur
90	Ram darshan Institute of Education, Plot No.- 710, 715, 718, 719, 720, Street No. Sh-19, Vill.- Jhangora, P.O.- Pithora, Ten.-Pithora, Dist.- Mahasamund	1. Dr. Nistar Kujur, SoS Sociology, Pt. RSU, Raipur 2. Dr. Kishor Kumar Tiwari, Shahid Rajeev Pandey Govt. College, Bhatagaon, Raipur
	Distt.: JASHPUR	
91	Shri Rameshwar Gahira Guru Sanskrit Mahavidyalay, Samarwar, Durgapur, Distt.-Jashpur	1. Dr. K.K. Sahu, SoS in Bioscience technology, Pt.RSU, Raipur 2. Dr. Narendra Kumar Jain, Govt. College, Palari Distt.- Baloda Bazar